खण्ड-271, अंक-1
शुक्रवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1888
(17 मार्च, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 271 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १७ मार्च, १९६७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में कार्यकारी अध्यक्ष, श्री खूबसिंह, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ४०५

अंगनेलाल, श्र
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्र
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम, श्र
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्याप्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्र
अवधेशप्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अशर्फीलाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्र
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्र
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदितनारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम्प्रकाश, श्री
ओम्प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल, बाल्मीक, श्री
कमलाप्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमलाप्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्र
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णबहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्र
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरीलाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूबसिंह, श्री

खेमा, श्री
गंगावर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरिराजसिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सर्राफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्दशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगदीशसिंह, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जलालुरहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जिनेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउरहमान, श्री
जी०एस० चौधरी, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोखिवर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपन्कर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
घनुषधरी पांडे, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
घर्मवीरसिंह, श्री
घर्मसिंह, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री

नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिह लसिंह, श्री
पन्नेरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)

ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगोती, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेशभूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त घूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्ति नाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)

योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह श्री
राधेश्याम कपूर श्री
राम अजोर, श्री
राम अचल सिंह सेन्गर श्री
रामअधार श्री
रामअधीन सिंह श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी श्री
रामचन्द्र विकल श्री
रामचन्द्रसिंह श्री
रामचरण दोहरे श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास श्री
रामदुलार पटेल श्री
रामदुलारे श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन श्री
रामलली मिश्र, श्री
राममूर्ति श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरनसिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री

लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
बरमेश्वर पांडेय, श्री
बसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशुनप्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णुस्वरूप, श्री
वीरबहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा कौल)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजूप्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम , डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्शसिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु श्री खूब सिंह, सदस्य, विधान सभा की श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति

सचिव, विधान सभा—

माननीय सदस्यगण, निम्नलिखित आदेश माननीय राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुए हैं:

"उत्तर प्रदेश विधान सभाके उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और उसके अध्यक्ष का पद भी उक्त सभा के दिनांक १७ मार्च, १९६७, के उपवेशन के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व रिक्त हो जायगा।

अतः 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १८० के खंड (१) द्वारा मुझे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, विश्वनाथ दास, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री खूब सिंह, बिजनौर से विधान सभा के सदस्य, को उक्त उपवेशन के प्रारम्भ से उस समय तक के लिए जब तक कि संविधान के अनुच्छेद १७८ के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाय, अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करता हूं।"

सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन

कार्यकारी अध्यक्ष—

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, आज का दिन महामान्य राज्यपाल ने अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए नियत किया है। नियमानुसार नामांकन पत्र कल दिन के १२ बजे तक आ जाने चाहिए थे। उक्त अवधि के अन्दर जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :—

नाम निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्तावक	समर्थक
(१) श्री गंगा राम ..	श्री राम चन्द्र विकल श्री झारखंडे राय	श्री उग्रसेन श्री राम दत्त
(२) श्री राम नारायण ..	श्री बनारसी दास श्री राम चन्द्र आजाद	श्री अवधेश प्रताप मल
(३) श्री जगदीश शरण अग्रवाल ..	श्री नवल किशोर	श्री मुजफ्फर हसन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ८ के उप-नियम ३ (क) में यह उपबन्धित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो नाम निर्देशित हुए हों पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं। श्री राम नारायण ने लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम वापस ले लिया है। इस प्रकार मेरे सामने अब केवल दो नामों के प्रस्ताव हैं। वे इस प्रकार हैं :

(१) श्री गंगा राम, तथा

(२) श्री जगदीश शरण अग्रवाल।

उक्त नियम ८ के उपनियम ३ (ख) के अनुसार अब मैं प्रस्तावक महोदयों को पुकारूंगा कि वे अपना-अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। पहले श्री रामचन्द जी विकल अथवा श्री झारखंडे राय जी अपना प्रस्ताव उपस्थित करेंगे और फिर श्री नवल किशोर जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गंगा राम जी, सदस्य, विधान सभा, कानपुर, का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत करता हूं।

कार्यकारी अध्यक्ष—

अब मैं नवलकिशोर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

शिक्षा मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया जाय।

कार्यकारी अध्यक्ष—

चूंकि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं अतएव नियम ८ के उपनियम (५) के अनुसार मतदान शलाका द्वारा किया जायगा । माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मैं उक्त उपनियम पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है —

"(५) प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान, शलाका द्वारा किया जायगा । जब दो से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिक मत प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को, जिसने न्यूनतम मत प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायगा और पुनः शलाका की जायेगी ।"

इसके सिलसिले में इतना बतला दूं कि चूंकि दो से ज्यादा नाम तो हैं नहीं, केवल दो ही उम्मीदवार हैं इसलिये यह रूल थोड़ा अमेंड हो जायगा, उसमें किसी को एलीमिनेट करने का सवाल नहीं पैदा होगा । शलाका एक ही दफा हो जायगी और उसका जो परिणाम निकलेगा वही हम सबके वास्ते लागू होगा ।

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

कार्यकारी अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री भुवनेश भूषण—

माननीय नवल किशोर जी ने कहा है कि श्री जगदीश शरण अग्रवाल को निर्वाचित किया जाय । उन्होंने प्रस्ताव कहां किया है ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

प्रस्ताव ऐसे ही होता है, यह प्रोसीजर है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, सरकारी कुर्सी पर बैठने से यह चीज आ ही जाती है ।

कार्यकारी अध्यक्ष—

धन्यवाद आपके कम्पलीमेंन्ट्स के लिये ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करूंगा और वह यह है कि अगर कोई खास बात जो आप न जानते हों उसे मालूम करना हो तो एक साहब उठ कर मालूम करें । जब तीन, चार सदस्यगण एक साथ एक बात को दोहरायेंगे तो चेयर के वास्ते मुश्किल हो जायगी कि क्या समझें । मैंने प्रोसीजर पढ़ कर सुना दिया । मतदान आप को करना होगा, दो उम्मीदवार हैं । शलाका द्वारा मतदान होगा, एलीमिनेशन का प्रोसेस इसमें नहीं आयेगा । क्योंकि दो से ज्यादा उम्मीदवार नहीं हैं । इसलिये मतदान की कार्यवाही कीजिये ।

अब मैं थोड़ा प्रोसीजर बता देना चाहता हूं । चूंकि मतदान शलाका द्वारा होना है अतः उसके लिये शलाका पत्र तैयार करा लिये गये हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि शलाका पत्र सभा मंडप में बने बूथ द्वारा वितरित किये जायेंगे और माननीय सदस्यों को जिलेवार पुकारा जायगा । सदस्य बूथ पर जा कर शलाका पत्र ले सकेंगे । शलाका पत्र प्राप्त करने के उपरान्त माननीय सदस्यगण अध्यक्ष मंच पर जा कर शलाका पत्र

[कार्यकारी अध्यक्ष]

पर अपना मत अंकित करेंगे । माननीय सदस्य जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहें उसके नाम के आगे क्रास के चिन्ह लगा कर मत देंगे । यह चिन्ह पंक्तियों के बीच में, नाम के आगे, जो स्थान उसके लिये है अंकित करना है, न कि पंक्तियों पर ।

कोई माननीय सदस्य न तो शलाका पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, न कोई इस प्रकार का कोई चिन्ह बनायेंगे कि जिस से यह पता चल सके कि उक्त मत किसने दिया है । शलाका पत्र पर चिन्ह अंकित करने के उपरान्त माननीय सदस्य मत पत्र को मोड़ कर बैलट बाक्स जो सामने रखा है उसमें डाल कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे । मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो गई होगी ।

अब मैं ५ मिनट के लिये फिर से घंटी बजाने का आदेश देता हूं । तदुपरान्त सदन क समस्त दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे और तब तक बन्द रहेंगे जब तक मतदान पूरा नहीं हो जायगा । जो माननीय सदस्य विभाजन कक्षों में हों वे भी अपना स्थान आ कर ग्रहण कर लें ।

इसके साथ मैं आपको यह बात बतलाना चाहता हूं कि दरवाजे बन्द करने से तात्पर्य यह नहीं होगा कि अगर कोई सदस्य, जब तक वोटिंग चलती रहेगी, उसके बीच में आना चाहे और वोट देना चाहे तो उनको एडमिट नहीं किया जायगा ।

एक सदस्य—

तो बन्द करने का क्या कारण है ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बन्द कराऊंगा । मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन एक प्रार्थना मैं यह करूंगा कि माननीय सदस्य जब तक वोटिंग जारी रहेगी तब तक जो सदस्यण यहां बैठे हुये हैं वे अपनी सीटों पर बैठे रहेंगे अ र अन्दर बाहर नहीं आयेंगे या जायेंगे । अगर आप मुझे यह आश्वासन दें कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं दरवाजे नहीं बन्द करवाऊंगा ।

(ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से दरवाजे खुले रहे)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, सन् ५२ में जिस तरह अध्यक्ष के चुनाव के समय प्रक्रिया रही थी उसी तरह अब की भी की जानी चाहिये । उस समय दरवाजे बन्द कर दिये गये थे और हम लोगों को सचिवालय से इस बात की सूचना मिली थी । इस पर बहस हुई थी । मैं समझता हूं कि वही प्रक्रिया जारी रहेगी जो अध्यक्ष के पद के लिये सन् ५२ में अपनाई गयी थी ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला इलाहाबाद)—

दरवाजे बन्द करने की कोई बात पहले नहीं थी । मैं समझता हूं कि दरवाजे खुले रहने चाहिये ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया सदन की प्रक्रिया है जो विभाजन द्वारा होगी जिसके लिये सदन के नियम बने हैं। सदन की कार्यवाही में दो तरह के विभाजन हैं। विभाजन हाथ उठा कर हो सकता है, लाबी में हो सकता है और बैलट के जरिये भी हो सकता है। लेकिन जब तक विभाजन पूरा नही होता है दरवाजे बन्द रहेंगे, ऐसा नियमों में प्राविधान है । यह प्रक्रिया नियमावली में है और जब तक आप विभाजन का जो निर्णय है उसे घोषित नहीं कर देते हैं तब तक दरवाजे बन्द रहने चाहिये । इसलिये जब विभाजन होने जा रहा है तो दरवाजे

बन्द हो जाने चाहिये और जब तक बिभाजन का निर्णय आदि घोषित न कर दें तब तक दरवाजे नहीं खुलने चाहिये ।

कार्यकारी अध्यक्ष—

आप यह बात समझ लें कि जिस बिभाजन की बात आप कर रहे हैं उस बिभाजन से आज की कार्यवाही का ज्यादा वास्ता नहीं है । आज हमें यह देखना है कि को सदस्य ऐसे न रह जायं कि विभाजन के समय दरवाजे अगर बन्द हों तो बाहर रुक जाने के कारण वे अपना मत न दे सकें । यह प्रजातंत्र के उसूलों के बिलकुल खिलाफ होगा कि कोई सदस्य अपना मत देना चाहता है और वह दरवाजे बन्द होने के कारण अपना मत न दे सके । इसलिये वह जो हार्ड ऐंड फास्ट रूल वाली बात कह रहे हैं उसे मैं नहीं करूंगा और न ही उसे करना मुनासिब भी है ।

श्री उग्रसेन—

अपना निर्णय देने के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन भी सुन लें ।

कार्यकारी अध्यक्ष—

उग्रसेन जी, मैं आपको मौका दूंगा । जो बात मैं कह रहा हूं पहले उसे आप सुन लें तो मुनासिब होगा । दरवाजे बन्द कराने वाली बात के बारे में मेरी राय यह है कि दरवाजे बन्द भी हो सकते हैं और खुले भी रह सकते हैं । मेरा निर्णय यह है कि जब तक चुनाव जारी रहेगा और इस बीच में अगर कोई सदस्य आ कर अपना वोट देना चाहेंगे तो मैं उन्हें वोट देने से वंचित नहीं होने दूंगा और यही मेरा फर्ज भी है । सन् ५२ में क्या हुआ था, उसके लिये कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल आपकी प्रक्रिया में नहीं है । स्पीकर की इस कुर्सी पर जो विद्यमान हो उसका डिस्क्रिशन है । मेरा मतलब यह है कि उस समय कुछ भी हुआ हो, लेकिन जो भी माननीय सदस्य इस बीच में आयें उन को मत देने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये । इस बात को ध्यान में रख कर दरवाजा खुला रखने की बात को मैं कह रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है । जब साधारण बिभाजन के समय दरवाजे बन्द हो जाते हैं तब आज जब यह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे समय दरवाजे बन्द हो कर वोटिंग कराना ही नियमानुकूल होगा और दरवाजे खुले रखना अनुचित होगा । यह मेरी प्रार्थना है कि दरवाजे बन्द करा कर आप चुनाव करायें ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर ने सर्वप्रथम यह आदेश दिया था कि चुनाव होने से पहले दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे । तो जब एक रूलिंग यह हो चुकी और जो प्रक्रिया नियमावली के नियम ८ के उप नियम (५) तथा (६) जो आपने पढ़ीं उसमें प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है इसलिये मैं आपसे यह स्पष्ट रूलिंग चाहता हूं कि तीन चीजें आप बता दें । एक तो यह कि क्या दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे, दूसरे क्या काउन्टिंग एजेन्ट्स हमें मिलेंगे या नहीं और तीसरे यह कि चुनाव कितनी देर तक होगा । हाउस की यह फीलिंग है कि दरवाजे जरूर बन्द हो जायं ।

श्री उग्रसेन—

हर जगह मतदान की एक प्रणाली होती है । सन् १९५२ में भी ऐसा ही हुआ था और अध्यक्ष के सचिवालय ने विधिवत् हमें यह सूचना दी थी कि सभी दरवाजे बन्द हो जायेंगे। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के लोग कम हैं, आये नहीं, इसलिये वे यह कर रहे हैं । इसलिये मैं संसदीय परम्परा के नाम पर सादर, साग्रह, सविनय निवेदन करता हूं कि दरवाजे बन्द कर दिये जायं ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय उग्रसेन जी सन् ५२ में यहां थे भी नहीं। जो भी निर्णायक अधिकारी होता है उसका यह डिस्क्रिशन है कि वह जो प्रोसीजर उचित समझे ले डाउन करे।

श्री उग्रसेन—

इससे कुछ होता नहीं है। आप निर्णय लें। हमारी उनकी लड़ाइयां रोज रोज चलेंगी। आप जो नियम है, संसदीय परम्परा है, उसको अपनायें। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग समय ले रहे हैं। आप फौरन दरवाजा बन्द करायें।

कार्यकारी अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार जाहिर कर दिये हैं और मैं सब के विचारों को समझ गया हूं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं न समझ सका। इसलिये आप मेरा अब अन्तिम निर्णय सुन लें।

प्रश्न जो आज हमारे सामने है वह बहुत सीधा सादा है। जो इस सदन का मेम्बर चुन कर आया है उसको पूरी सुविधा इस बात की दी जाय कि वह अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना योगदान दे। यह क्राइटेरियन मेरे सामने है और इसी क्राइटेरियन को सामने रख कर मैं व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के जो सम्मानित सदस्य हैं वे डैमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के सच्चे हामी हैं और वे यह चाहेंगे कि किसी की हकतलफी न होने पाये। इसलिये मैं दरवाजा जरूर बन्द करवा दूंगा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं लेकिन जब तक वोटिंग चलती रहेगी अगर कोई सदस्य वोट डालने के लिये आयेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं उन्हें आने दूंगा।

(घंटी बजाई गई)

श्री उग्रसेन—

वोटिंग का समय कब तक का है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन् समय बता दिया जाय कि किस समय तक निर्वाचन चलेगा ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

आप तो माननीय सदन के सदस्य हैं, आप थोड़े बहुत उसूल जरूर जानते होंगे। नियमावली में कहीं प्राविधान नहीं है कि समय नियत किया जाय। उस समय तक के लिये इसका समय रहेगा जब तक यह जारी रहेगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मतदान शुरू कराइये, इनको समय न दिया जाय।

श्री रामवल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

क्या यह जानकारी सदन को श्रीमन् दे सकेंगे कि यदि कोई सदस्य आज न आ सके तो कल उसका वोट पड़ सकेगा ? जब समय निश्चित नहीं है तो यह २।४ दिन चल सकता है।

श्री उग्रसेन—

आपने पहले कहा था कि फाटक बंद करायेंगे ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

देखिये ५ मिनट पूरे हो जायेंगे तो मैं दरवाजा बन्द करा दूंगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि ११ बजे अध्यक्ष का निर्वाचन होगा । आप कहते हैं कि जब तक चलेगा होता रहेगा ।

श्री राजराजेश्वर (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय यह निश्चित कर दें कि कितने समय तक वोटिंग करायेंग ?

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, वोट पड़ने के पहले उसका सिस्टम पूरे का पूरा बता दिया जाय । राज्यपाल की आप क्या बात करते हैं ? राज्यपाल के सारे आदेश कांग्रेस के आदेश मालूम पड़ते हैं। वह अब राज्यपाल न रहकर कांग्रेसपाल हो गये हैं ।

(घंटी बन्द होने पर प्रवेश द्वार बन्द कर दिय गये ।)

कार्यकारी अध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य यदि बैलट बाक्स देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, पांच मिनट हो चुके हैं किन्तु उधर के दरवाजे अभी खुले हुये हैं वह बन्द नहीं हुये हैं ।

कार्यकारी अध्यक्ष—

यह वोटिंग का क्रम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि यहां पर आखिरी नाम न पढ़ दिया जाय और वह व्यक्ति अपना बैलट पेपर न डाल ले । जिले वार माननीय सदस्यों का जैसा क्रम बनाया गया है उसी क्रम से माननीय सदस्य वोट डालने के लिये बुलाये जायेंगे । इसमें यदि कोई माननीय सदस्य रह भी गये होंगे तो आखिरी नाम पढ़ने के पहले की अवधि तक उनको वोट डालने का मौका दिया जायगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, उधर के लोग तो जानबूझ कर चाहेंगे कि यह कार्य चार बजे तक चलता रहे। तो क्या यह चार बजे तक या ये जब तक चाहेंगे तब तक यह कार्य चालू रहेगा ।

कार्यकारी अध्यक्ष—

नहीं, मुझे उम्मीद है जल्दी खत्म हो जायगा और तीन बजे के पूर्व हो जायगा ।

श्री चन्दशेखर सिंह (जिला वाराणसी)—

अभी आपने एक व्यवस्था दी थी कि १०० घंट चलेगी और अब आप कह रहे हैं तीन बजे से पहले खत्म हो जायगी तो दोनों में किसे माना जाय ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

अब मैं जिलेवार नाम पुकारूंगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

वोटिंग की प्रक्रिया कब तक चलेगी इसके लिये आपने क्या निश्चय किया इसको पहले स्पष्ट कर दीजिये तब कार्य आगे शुरू किया जाय। क्या यह कार्य आज दिन भर चलता रहेगा ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि जब तक आखिरी नाम पुकारा जायगा . . .

(श्री उग्रसेन द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

मेरी पूरी बात सुन तो लीजिये ।

श्री उग्रसेन—

सुनते सुनते तो मुझे आधा घंटा हो गया है। यह कब खत्म होगा ?

कार्यकारी अध्यक्ष—

राज्यपाल के अभिभाषण के समय तक अवश्य समाप्त हो जायगा ।

(मतगणना के उपरान्त)

कार्यकारी अध्यक्ष—

अब, माननीय सदस्यगण, अगर आप अपना स्थान ग्रहण कर लें तो अच्छा है। ६ बैलेट पेपर्स ऐसे हैं जिनको इन्वैलिड करार दिया गया है । अभी एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। इन ६ में से दो बैलट पेपर्स ऐसे हैं जिन पर कोई भी निशान नहीं हैं । इसलिये इनको वैलिड करने का सवाल नहीं उठता ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

दो जो सादे हैं उनमें एक गंगा राम जी के लिये है. . . .

कार्यकारी अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये । अब ४ शेष जो रह गये हैं उनमें से दो बैलट पेपर्स ऐसे हैं जिन पर क्रास का निशान नहीं है । एक एक लाइन है । अगर इनको वैलिड मान लिया जाय तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता । चूंकि रिप्रेजेंटेशन भी आ गया है, मैं इन दोनों को वैलिड करार देता हूं ।

दो जो शेष रह गये हैं उनमें से एक ऐसा है जिस पर क्रास निशान तो नहीं है बल्कि कुछ गुलदस्ता सा बना हुआ है । अगर किसी बैलट पेपर पर बना निशान किसी दूसरे निशान का द्योतक हो तो उस बैलट पेपर को वैलिड करार नहीं दिया जा सकता । मैं इसको वैलिड करार नहीं देता हूं ।

एक बैलट पेपर ऐसा है जिस पर क्रास का निशान नहीं है बल्कि सही का निशान है । इससे भी पहचान तो होती है मगर ऐसा भी हो सकता है कि धोखे में सही का निशान लगाया गया है और इससे इन्डीकेशन वोट किसको दिया गया है यह पता लगता है । इसलिये मैं इसे वैलिड करार देता हूं ।

काउंटिंग का रिजल्ट इस प्रकार है । ४१७ वोट्स कुल पड़े । इनमें से ३ इन्वैलिड हो गये । अब ४१४ बाकी रह गये हैं । इनमें से २२६ श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी को प्राप्त हुये हैं (हर्षध्वनि), शेष १८८ श्री गंगा राम जी को प्राप्त हुये हैं । अतः मैं घोषित करता हूं कि श्री जगदीश शरण अग्रवाल स्पीकरशिप के पद के लिये विधिवत् चुन गये ।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने आज इस चुनाव की कार्यवाही को विधिवत् और अत्यन्त शान्ति पूर्वक चलाने दिया । इस सदन द्वारा जो श्री अग्रवाल जी को स्पीकर के पद के लिये चुना गया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं । अग्रवाल साहब इस सदन के पुराने सदस्य हैं, बड़े कर्मठ हैं, तजुर्बेकार हैं और होशियार हैं । मैं समझता हूं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इस सदन को स्पीकर के रूप में जरूरत थी । जहां तक उनकी

इम्पार्शेलिटी का ताल्लुक है. इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस हाउस के लिये सदा इम्पार्शल रहेंगे । मैं अग्रवाल जी को मुबारकवाद पेश करता हूं कि और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वे आये और माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल दोनों उनको अपने साथ लाकर इस कुर्सी को ग्रहण करायें ।

(मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, और ने ा विरोधी दल, श्री राम चन्द्र विकल श्री जगदीश शरण अग्रवाल को अध्यक्ष के स्थान पर ले गये । १ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री जगदीशशरण अग्रवाल को बधाई

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष जी, मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूं और इस सदन को बधाई देता हूं कि इसने आपको इस उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान पर चुना । अध्यक्ष का पद बहुत ही गौरवमय और उत्तर-दायित्वपूर्ण होता है । इस विषय पर मुझे प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । गणतन्त्र में वि ान सभा का संचालन, उसकी परम्पराओं के अनुकूल कार्य करना और सबको उसकी मर्यादाओं के अन्तर्गत चलाना अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी होती है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभायेंगे जिससे इस सदन के प्रत्येक सदस्य के विश्वास पात्र आप अपने को सिद्ध कर सकें तथा उन परम्पराओं को बराबर जारी रख सकें जो परम्परायें इस सदन में पिछले वर्षों में बनी हैं । इस पद को बड़ी विभूतियों ने सुशोभित किया है जिन्होंने इस पद की शोभा को बढ़ाते हुये इस सदन की मर्यादा की बराबर रक्षा की है । हमारे बीच में माननीय पुरुषोत्तम दास जी टंडन नहीं हैं परन्तु वह जो कुछ इस सदन के समक्ष कर गये हैं और जिन चीजों को उन्होंने सदन के समक्ष सदा प्रस्तुत किया है वह ऐसी चीजें हैं जो केवल इस सदन के सदस्यों को प्रोत्साहित नहीं करती हैं परन्तु सदन के बाहर गणतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा करने में हमारी सहायता करती हैं । टंडन जी की याद, उनके निदेशन, उनकी नीतियां, सदा आपको बल देती रहेंगी ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी धारणा है । आपने भले ही इस पद पर अध्यक्ष के रूप में कार्य न किया हो परन्तु समय समय पर इस सदन के अधिष्ठाता के रूप में कार्य किया है और उसमें आपने कार्य कुशलता का रिचय दिया है और उन आदेशों का परिचय दिया है जिन आदेशों से प्रेरित होकर इस सदन की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कार्य करता है ।

देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है । गणतंत्र की जगह जगह पर परीक्षा हो रही है। हमारी यह धारणा है कि यह विधान सभा उस परीक्षा में आपके द्वारा हम सबको बल देगी और हम सब को उस प्रकार कार्य करने की दिशा में खीचेगी जिससे वह क्षमता हमारे बीच में उत्पन्न हो जो क्षमता गणतंत्र की रक्षा करती है । उसे बढ़ाने में सहायता देती है और उसकी जड़ों को मजबूत करती हैं । आप अपने कार्य काल में इस सदन के सदस्यों का पूरी मात्रा में सहयोग प्राप्त करें और अपने कार्य भार को सम्हालने में सफलता प्राप्त करें ऐसी मेरी अभिलाषा और आशा है । मैं फिर से आपको बधाई देता हूं और साथ ही मैं इस अवसर पर अपने मित्र श्री खूब सिंह जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने आज इस चुनाव के कार्य का संचालन किया उत्तम ढंग से किया और संतोषप्रद ढंग से किया। इसी प्रकार के कार्य हम सबके द्वारा इस सदन के अंदर संचालित होते रहें, यह सबके लिये गौरव की बात सिद्ध हो सकती है।

इस स्थान पर मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से स्वागत करता हूं ।

मैं फिर से आपको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप का इस स्थान पर अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से स्व गत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका कार्य काल उन मर्यादाओं और परम्पराओं की रक्षा में व्यतीत हो जिन मर्यादाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]-

और परम्पराओं की रक्षा करने के लिये आपसे पूर्व व्यक्तियों ने भरसक प्रयास किया और उन नीतियों का निर्धारण किया जो गणतंत्र को मजबूत बनाती हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने के लिये मैं संयुक्त विधायक दल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि संयुक्त विधायक दल जो विरोधी दल के रूप में इस सदन में है, हर क्षण आपको पूर्ण सहयोग और सहायता देगा। जनतंत्र की दशा जो आज देश में है उससे सभी लोग परिचित हैं। उसकी सच्ची प्रतिमा सदन से जाहिर होती है । आप पर पूर्ण विश्वास है कि इस सदन के अन्दर, जो ८ करोड़ जनता की नुमाइन्दगी करता है, आप हर क्षण जनतंत्र की रक्षा करेंगे । सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का सन्मान, विरोधी पक्ष का सन्मान, सरकार का सन्मान, यह सब आपके हाथों में सुरक्षित होगा यह मुझे पूर्ण विश्वास है । हम सब लोग आपको पूर्ण विश्वास, सहयोग और सहायता का आश्वासन देते हैं और पुनः मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, इस चुनाव के लिये, इस पद के लिये जो आज आपने सुशोभित किया है ।

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय नेता सदन, समादरणीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यगण, जब एक व्यक्ति के मन में बहुत से विचार होते हैं तो शब्द थोड़े ही निकल पाते हैं। आज मैं अपने को उसी दशा में पाता हूं । माननीय नेता सदन ने और माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे चुनाव के विषय में जो विचार व्यक्त किये, उनके लिये मैं असीम कृतज्ञता प्रकट करता हूं। उन्होंने जो आशायें और आकांक्षायें इस पद के ग्रहण करने वाले से व्यक्त कीं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं उनके अनुकूल अपने को ढाल सकूं ।

जनतंत्र में विधान सभा के अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है । इस पद पर मुझे आसीन कर जो दायित्व आपने मुझे सौपा है वह कितना गहन है, इसकी मैं अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूं और उसकी कल्पना करते समय मुझे थोड़ी घबराहट भी स्वाभाविक रूप में अनुभव होती है। मेरा सम्बल यह विश्वास है कि मुझ पर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह है जो आपके सहयोग के संकेत और आश्वासन में प्रतिबिम्बित हो रहा है । इस पद के ग्रहण करते समय कुछ मान्यतायें मेरे मन में हैं । मैं भी अपने को जनतंत्र का एक अकिंचन उपासक मानता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि इस पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन रहे, उसका बहुत बड़ा दायित्व है । इस आसन की गरिमा, इसका महत्व, वास्तव में आपकी गरिमा है, इस माननीय प्रतिष्ठित सदन की गरिमा है, ८ करोड़ जनता से चुने हुये जनप्रतिनिधियों की गरिमा है । इस कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाय, उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, वह आपका जो महत्व है वही उसी में प्रतिबिम्बित होता है । उसकी गरिमा का संरक्षण आपकी अपनी गरिमा और महिमा को बढ़ाने की चेष्टा होगी ।

जैसा माननीय नेता सदन ने कहा, मुझे सौभाग्य हुआ है किसी रूप में इस आसन पर आने से पूर्व समय-समय पर बैठने का । मैं बड़ा आभारी हूं कि मुझे विरोधी दल के माननीय सदस्यों का भी पूर्ण सहयोग, पूर्ण कृपा उन परिस्थितियों में प्राप्त रही । मैं आशा करता था कि कदाचित् उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं और जिस प्रकार से सब तरह से बातें आरम्भ हुई थीं, कदाचित् इस महत्वपूर्ण पद के लिये निर्विरोध चुनाव संभव हो सके । जब मैंने देखा कि चुनाव अवश्यम्भावी है, तो मेरे मन में कुछ संकोच पैदा हुआ । यदि अलग अलग कुछ प्रमुख विरोधी पक्ष के नेताओं के मिलने से मुझे यह विश्वास न हुआ होता कि उनकी सद्भावना और सहयोग मुझे प्राप्त रहेगा, तो कदाचित् मुझे इस पद के लिये अपने को प्रस्तुत करना कठिन हो जाता । आज यहां जो विचार माननीय नेता विरोधी दल द्वारा व्यक्त किये गये उससे सम्बल बढ़ा । मुझे विश्वास है, सभी माननीय सदस्यों का सहयोग निरन्तर मुझे प्राप्त होता

रहेगा। मैं माननीय नेता विरोधी दल का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का मुझे आश्वासन दिया है।

मुझे भी यह नम्र निवेदन करना है कि मेरा भी यह सतत् प्रयत्न होगा कि मैं उनका विश्वास प्राप्त करता रहूं, उनके सभी साथियों का विश्वास प्राप्त करता रहूं, और इस सदन के हर माननीय सदस्य का विश्वास प्राप्त करता रहूं। मैं हृदय से आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि इस पद पर बैठने के बाद मेरा यह निरन्तर प्रयत्न रहेगा कि मैं आपके विश्वास के योग्य अपन को साबित कर सकूं। मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि मैं, इस पद पर बैठने के बाद, कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा सम्बन्ध किसी विशेष दल से है। इस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिये इस विषय में प्रेस में तथा बाहर कुछ विचार व्यक्त हुये हैं। उस सम्बन्ध में मेरे कुछ अपने भी विचार हैं। उन परम्पराओं का जिनका उल्लेख प्रेस वक्तव्य में हमें देखने को मिला है उनका सृजन आप सभी माननीय सदस्यों के सहयोग और सभी दलों के परामर्श से संभव हो सकेगा। उस दशा में मेरा प्रयत्न होगा कि इस सदन में एसी परम्पराओं का सृजन हो जिस से इस पद की गरिमा बढ़े लोगों की जनतंत्र में आस्था बढ़े और प्रजातंत्र सफल हो। इस आसन को, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, हमारे प्रदेश के गणमान्य नेता स्वर्गीय टंडन जी जैसे व्यक्ति सुशोभित कर चुके हैं। आज यद्यपि वे महान व्यक्ति हमारे बीच में नहीं हैं किन्तु उनकी बनायी हुयी जो परम्परायें हैं जो उन्होंने यहां पर बैठ निर्देश दिये हैं वे सब आज हमारे बीच में जीवित हैं और उनसे हमें सदैव ही प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं फिर से आपके सहयोग आश्वासन के लिये हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार के सहयोग का आश्वासन यहां दिया गया है वह मुझे सदैव प्राप्त होता रहेगा। और मेरा यह सतत प्रयत्न होगा कि मैं उनके अनुरूप अपने को ढाल सकूं।

मैं पुनः आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब आगे मिल-जुल करके एक दूसरे के सहयोग और परामर्श से नई परम्परायें डालने में और पुरानी अच्छी परम्पराओं का संरक्षण करने में भी समर्थ होंगे।

अब हम इस समय उठते हैं। माननीय राज्यपाल इस सदन को सम्बोधित करेंगे। २.५० बजे वे यहां आयेंगे जैसी, कि आप लोगों को सूचना मिल चुकी है।

(इस समय १ बजकर ४१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पात

श्री अध्यक्ष--

हमारी नियमावली के नियम १९ (२) के अनुसार मैं आपके समक्ष श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश पढ़ कर सुना रहा हूं।

"श्री सभापति श्री अध्यक्ष तथा विधान मंडल के सदस्यगण,

राज्य में चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के परिणाम स्वरूप विधान सभा के संघटन के पश्चात् ..... विधान सभा के कार्य-संपादन की विशेषता है अपनाने में कुछ भी समय न लगेगा।"

* * * * *

"इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपका ध्यान.....

.....

कि आप विधान मंडल क सदस्यगण लोकतंत्रीय आदर्शों तथा जनता की सेवा को सर्वोपरि बनायें रखने का अथक प्रयास करेंगे।"

(पूर्ण विवरण के लिये देखें नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५ से ४० तक)

१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक अनुदान, १९६७–६८ का आय-व्ययक तथा १९६७–६८ का लेखानुदान

श्रम मंत्री (श्री बनारसीदास)—

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज चार बजे सदन में अनुदान और सप्लीमेंटरी बजट पेश होने वाले थे लेकिन कल जैसी कि आशा नहीं थी, गवर्नमेंट प्रेस की बिजली फेल हो गयी और सदन को इससे पहले सूचना इसलिये नहीं दी जा सकी कि सदन उससे पहले मिला नहीं था।.....

श्री अध्यक्ष—

इस समय कार्यक्रम का जो दूसरा आइटम है उसको पहले ले लिया जाय, उसके बाद आप जो कहने वाले हों कहें।

भूतपूर्व मंत्री श्री हरगोविन्द सिंह, श्री अलगू राय शास्त्री, श्रीमती प्रकाशवती सूद तथा श्री हेतराम, श्री राम लाल, श्री दरबारी लाल और श्री आनन्द स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जब मिल रहे और जब आखिरी बार हम मिले थ, इस दरमियान में हमने बहुत से अपने साथियों को और इस सदन क सदस्यों को जिन्होंने इस सदन में विभिन्न रूप से कार्य किया था खो दिया। मेरा तात्पर्य माननीय ह गोविन्द सिंह, माननीय अलगूराय शास्त्री, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री हेतराम, श्री राम लाल, श्री दरबाली लाल और श्री आनन्द स रूप जी के िधन से है।

श्री हरगोविन्द सिंह जी और श्री अलगू राय शास्त्री जी तो वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे और इस प्रदेश के वि भन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में उन्होंने हिस्सा लिया था। चाहे वह आजादी की लड़ाई हो, चाहे वह कांग्रेस का कोई आन्दोलन अथवा सरकार को चलाने का कार्य-भार ही क्यों न रहा हो, सभी स्थानों पर उनका योगदान रहा था। माननीय ह गोविन्द सिंह जी तो इस प्रदेश के वर्षों तक सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। कई वर्षों तक उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाते इस प्रदेश के उत्तरदायित्व को संभाला और कई वर्ष तक वह इस प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे। ज ां-ज ां उन्होंने कार्य किया व ां उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया, अ ने उत्साह और लगन का रिचय दिया। वह अब हमारे बीच से उठ गये, हमारे बीच से उनका अभाव खटकेगा उनकी यह क्ष ति पूरी नहीं हो सकती। ह उनके रिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहते हैं।

माननीय अलगूराय जी भी प्रदेश के उन सार्वजनिक ने ाओं में से थे जिन्होंने छ आछूत दूर करन के आन्दोलन से लेकर आजादी प्राप्ति के आन्दोलन तक अ ने त्याग, उत्साह और लगन का बराबर रिचय दिया। वह स उनके जीवन का एक सराहनीय अंग है। वह वर्षों तक आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे और प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। स्टेट कौंसिल के तथा कांस्टीट्युएंट असेम्बली के सदस्य रहे तथा इस सदन के भी वह प्रारम्भ में सदस्य रहे। वह केवल इस राज्य के सामाजिक कार्यकर्त्ता ही नहीं थे वरन् वह एक लेखक भी थे और उनकी रुचि अन्य बहुत से कार्यों में थी। वह सदा ही हंसमुख रहते थ और जिस दिशा में वह कदम उठाते थे दृढ़ता का परिचय देत थ और निर्भयता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने की वह चष्टा करते थे। आज अपने बीच से उनका उठ जाना हम सब को अखरता है और उनका अभाव प्रदेश क सार्वजनिक जीवन को कमजोर करेगा। उनके परिवार के प्रति भी हम अ ना और इस सदन की समवेदना प्रकट क ते हैं।

बहिन प्रकाशवती सूद भी प्रदेश की उन महिलाओं में से थीं जिन्होंने सन् ३७ से बराबर इस सदन की सदस्या के रूप में कार्य किया। केवल स्त्रियों के उत्थान के कार्य में उन्होंने अपना समय नहीं दिया, किन्तु जब कभी भी किसी प्रकार का भार उनके कंधों पर डाला गया उसको उन्होंने संभाला और एक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सदा निभाया। यह समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रहीं और उसके कार्य को संचालित किया। वह यहां उप मंत्री भी रहीं और विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से उनका संबंध रहा। उनका यह योगदान सदा ही सराहनीय रहेगा। मेरठ का जिला उनकी मृत्यु की इस क्षति को पूरा नहीं कर सकता। चाहे वह जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा के रूप में उनका कार्य रहा हो, चाहे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की सदस्या के रूप में उनका कार्य रहा हो, सब जगह उनके कार्यों की छाप लगी हुयी है। उनके जीवन से हमारी बहिनें बहुत कुछ सबक ले सकती हैं। जिन्दगी के आखिरी दिनों में जिस बहादुरी के साथ उन्होंने तकलीफ को झेला, वह भी ऐसी चीज है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।

श्री हेतराम जी तथा श्री राम लाल जी दोनों ही इस सदन के सदस्य रहे। श्री हेतराम जी पिछली बार भी सदन के सदस्य थे और इस वर्ष भी वह चुनाव में भाग ले रहे थे, लेकिन वह बीमार पड़ गये और दुर्भाग्य से चुनाव की तैयारी के बीच में ही उनका देहान्त हो गया। उन के परिवार के प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री दरबारी लाल जी, जो अभी इस चुनाव में इलाहाबाद से चुने गये थे, नवयुवक थे, उत्साही व्यक्ति थे और बहुत कम उम्र के थे। जैसा कि आपको विदित होगा, अभी १५ तारीख को वे इस सदन में सम्मिलित होने के लिये आ रहे थे कि रेल में उनकी हत्या कर दी गई। यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति के परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री आनन्द स्वरूप जी, जो फतेहपुर के निवासी थे जो इस चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे थे, पहले भी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। वे भी उत्साही, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे। वे अपने जिले में बहुत जमाने से सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे थे। उनका वहां के सार्वजनिक जीवन में भारी योगदान रहा है।

ये सारी विभूतियां जो हमारे बीच से उठ गयीं, उनसे हमारा सार्वजनिक जीवन कमजोर हुआ है। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारी संवेदना आपके द्वारा इन सभी साथियों के परिवारों को भेज दी जायगी। ईश्वर से हम इस बात के लिये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। हमारी प्रार्थना है कि आप मेरी और सदन की संवेदना व्याकुल परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जिन दिवंगत आत्माओं के लिये अपनी समवेदना प्रकट की है और उसके संतप्त परिवारों के साथ जो अपनी सद्भावना प्रकट की है, मैं उसके इस विचार से अपने को और अपने संयुक्त विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय ठाकुर हर गोविन्द सिंह जी से मेरा पूर्ण परिचय था और उनसे निकट का भी संबंध था। देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योग था और इस सदन में काफी समय तक उनके साथ रहने का हमें अवसर मिला। अचानक उनके देहावसान से इस सदन को भी और इस प्रदेश को भारी क्षति हुई है। मैं और मेरा दल उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता है।

बहन प्रकाशवती जो मेरठ जिले के सार्वजनिक जीवन में बहुत पहले से ही थीं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका भी अचानक ही स्वर्गवास हुआ। यह सदन और इस प्रदेश की जनता उस क्षति को पूरा नहीं कर सकती है। उनके परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदना आप पहुंचाने का कष्ट करें।

[श्री रामचन्द्र विकल]

श्री अलगूराय शास्त्री का इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे देश के गिने हुये उच्च विद्वानों में, विशेषकर आर्यसमाज के उच्च नेताओं में, स्थान रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद भी देश के निर्माण में उनका सारा जीवन राजनीतिक और धार्मिक क्षत्रों में पूर्ण रूप से रहा। उनके अचानक देहावसान से भी प्रदेश और देश की महान् क्षति हुई है। उनके परिवार के साथ मैं और हमारा दल पूरी संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, आप अपने द्वारा उनके दुखी परिवार तक हमारी सहानुभूति और संवेदना पहुंचा दीजिये।

श्री हेतराम जी, मुरादाबाद, श्री राम लाल जी, बस्ती, श्री आनन्द स्वरूप जी, ये सभी इस सदन के पहले सदस्य रह चुके हैं। इन सभी का जीवन एक सार्वजनिक जीवन रहा। इन सभी महान आत्माओं के उठ जाने से इसी सदन और प्रदेश की क्षति हुई है। हम सभी लोग और हमारा दल उनके परिवार के साथ सहानुभूति रखता है।

दरबारी लाल जी, जो अभी इलाहाबाद से चुने गये थे, उनकी दुःखद घटना का जिस प्रकार वर्णन बताया गया है, वह बड़ा दुःखपूर्ण है। वे बेचारे शपथ भी नहीं ले सके, इस सदन में। वह एक बड़ी दुःखद घटना है और इसको अकाल मृत्यु ही कह सकते हैं। इस दुःखद घटना को यह सदन और प्रदेश की जनता बहुत गहरी चिन्ता से देखती है। सारा हमारा सदन और यह दल उनके परिवार के साथ पूर्ण सहानुभूति और सद्भावना रखता है। अन्त में मैं सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति और उनकी सद्गति के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछली विधान सभा के सत्र के बाद और नय सत्र के अन्तरकालीन समय में, उत्तर प्रदेश की विशिष्ठ विभूतियां हमसे अलग हो गयी हैं। माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार उनके विषय में प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह जी हमारे प्रदेश के उन महान व्यक्तियों में थे जिन से सभी परिचित थे। उनका एक बहुत लम्बे समय तक इस सदन से और राज्य के शासनसे संबंध रहा है। उनका निधन इस समय, जब कि एक परिपक्व बुद्धि के राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी क्षति है। जिसकी पूर्ति में बहुत समय लगता है।

श्री अलगूराय शास्त्री जी भी हमारे प्रदेश के माने हुये नेताओं में थ, जिन्होंने समय समय पर अपनी परिपक्व बुद्धि से और अपने अनुभव से देश को उत्साहित किया अपने लक्ष्यों पर चलने के लिये।

श्रीमती प्रकाशवती सूद एक ऐसी महिला थीं जिन पर महिला समाज गर्व कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन भर बड़ी लगन और श्रृद्धा के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लिया और उनके वे सारे कार्य आज महिला समाज को प्रेरणा दे सकते हैं।

श्री राम लाल, हेतराम और आनन्द स्वरूप जी, यद्यपि मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं हुआ, लेकिन जो उनके बारे में मैंने सुना, प्रदेश को निश्चय ही, उनके निधन और विशेषकर ऐसे समय में जब कि सारे प्रदेश की परिपक्व बुद्धि की आवश्यकता थी, उससे बहुत बड़ी क्षति हुयी है जो पूरी होना कठिन होता है।

अन्त में मैं श्री दरबारीलाल जी के बारे में जिक्र करता हूं। ये तो बिना खिली हुयी कली थे जिन्हें जीवन के प्रभात में ही मृत्यु ने उठा लिया। इनकी आयु केवल २८ या ३० वर्ष की थी। बड़ी आशा से वे राजनीतिक क्षेत्र में उतरे थे और शपथ लेने के लिये कल हमारे बीच रहे होते यदि प्रकृति की इच्छा अन्यथा न होती। इन ७ विभूतियों के उठ जान से हमारे प्रदेश को

निश्चित रूप से बड़ी हानि पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे। अन्त में मैं विश्वास दिलाता हूं कि सदन में जो श्रद्धाँजलियां उनके प्रति प्रकट की गयी हैं, उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब हम अपने अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हो कर दिवंगत आत्माओं की शान्ति क लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुए।)

१९६६-६७ का तृतीय अनुपूरक अनुदान, १९६७-६८ का आय-व्ययक तथा १९६७-६८ का लेखानुदान (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

(श्री बनारसी दास से) आप कुछ सूचना दे रहे थे, वह दे दें।

श्रम मंत्री (श्री बना रसीदास)—

अध्यक्ष जी, आज सदन में अनुपूरक बजट और वोट आन एकाउन्ट पेश किया जाना था। लेकिन कल गवर्नमेन्ट प्रेस में बिजली फेल हो जाने से कठिनाई पैदा हो गई है। इसलिये मैं आप की इजाजत से प्रक्रिया नियमावली की धारा ३१५ के अन्तर्गत अनुरोध करत हूं.....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ऐसा समझता हूं कि बजट पेश करने में जो आपका नियम है उसके हिसाब से बजट का समय माननीय राज्यपाल निश्चित करते हैं। ...

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहूंगा कि आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है। अभी जो मंत्री जी सूचना दे रहे थे वह आप पूरी सुन लते और यह भी सुन लें कि वह क्या चाहते हैं, उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठायें, यदि कोई शंका रह जाय। यही ज्य दा अच्छा हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

यह सरकार कितनी अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में असफल रही है। और राज्यपाल महोदय ने भी निश्चित रूप से विधायकों का समय लिया, हम जानते हैं कि यह सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर सकेगी, लेकिन तब भी राज्यपाल ने अल्पमत की सरकार को हमारे ऊपर इस तरह थोपा है। तो पहले मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप ऐसी सरकार को यहां बैठने की आज्ञा देंगे। जो प्रस्ताव मंत्री जी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का कोई अधिकार उनको नहीं ह।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो बात कही उस की व्यवस्था का क्या रूप है, यह मैं नहीं समझ पाया मैं यह चाहूंगा कि पहले मंत्री जी जो बात कह रहे थे उस का रूप हमारे सामने आ जाय। अगर उसके बाद कोई कठिनाई रहे या उससे कोई समस्या उत्पन्न हो तब उस पर विचार किया जाय।

श्री बनारसी दास—

मैं यह कह रहा था कि आज ४ बजे यहां पर वोट आन एकाउन्ट और अनुपूरक अनुदान पेश करने के लिये समय निश्चित किया गया था और गवर्नमेन्ट प्रस से यह आशा थी कि उस

[श्री बनारसी दास]

समय तक वोट आन एकाउन्ट और अनुपूरक अनुदान का साहित्य तैयार हो जायगा। लेकिन बिजली फेल हो जाने से साहित्य तैयार नहीं हो सका जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और सदन आज ही चूंकि पहली मर्तबा मिला है, इस से पहले इस की सूचना नहीं दी जा सकती थी। ऐसी परिस्थिति में इस वक्त वोट आन एकाउन्ट का अनुदान पेश नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं आप की इजाजत से यह प्रस्ताव रख रहा हूं....

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद—

अब तो व्यवस्था का प्रश्न उठ गया कि माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव ही नहीं रख सकते।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रस्ताव क्या है यह आ जाय।

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद—

अब तो यह स्पष्ट है कि वह बजट नहीं लाने वाले हैं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष—

मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी जो आपत्ति है .....

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष जी, आप उनको उसकी अनुमति दे रहे हैं, यही व्यवस्था का प्रश्न है। आप उस प्रस्ताव को रखने की अनुमति उन को न दें। और कदाचित् उन को प्रस्ताव रखने से पहले आप को भी अवगत करा देना चाहिये। आपके सामने प्रस्ताव की प्रति नहीं पहुंची। आज तक इस सदन में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया होगा जिसका माननीय अध्यक्ष को ज्ञान नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप ने इस प्रकार के प्रस्ताव की पहले तो मंत्री जी को अनुमति दी, मैं समझता हूं कि प्रस्ताव का नाम लेते ही स्पष्ट हो गया कि वह क्या रखना चाहते हैं और इतना संकेत मात्र ही उन को बिठलाने के लिये काफी है। जिस प्रस्ताव का आप को ज्ञान नहीं है कदाचित् आप उसकी आज्ञा नहीं दे सकते हैं? .....

श्री अध्यक्ष—

मैं आप को बताऊं कि मैं आप की इस आपत्ति पर अवश्य विचार करूंगा, लेकिन उस प्रस्ताव को सुन लेने के बाद। यह कल्पना करना कि कोई भी मौखिक प्रस्ताव हो ही नहीं सकता जिस का पूर्व नोटिस न दिया जाय, यह तो ठीक नहीं है।

प्रस्ताव हो सकता है, होता रहा है और होना कभी कभी आवश्यक होता है। पहले मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव मैं देख लूं कि प्रस्ताव है क्या, उसका आधार जाने बिना मैं अपनी सम्मति कैसे दे सकता हूं?

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद—

उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि पहले आपके पास आ जानी चाहिये थी। फिर आप प्रक्रिया नियमावली के नियम ११३ को देख लें, उसमें उल्लिखित प्रस्तावों के अलावा और कोई प्रस्ताव आ ही नहीं सकता बिना स्पीकर को सूचना दिये हुए।

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति न करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जो आपत्ति है उस पर मैं विचार करूंगा। आप नियम ११० को दख लें कि बिना सूचना के कितने प्रस्ताव

हो सकते हैं। इसमें किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव हो सकता है, किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन क्या उसमें कोई इस प्रकार के प्रस्ताव हैं जो बिना किसी सूचना के आ सकते हैं और क्या बिना सूचना दिये हुए कोई प्रस्ताव का आना उचित हो सकता है ?

मेरा कहना यह है कि पहले माननीय मंत्री जी अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत कर लें उसके बाद मैं आपकी आपत्ति को इस कसौटी पर देखूंगा कि क्या वह प्रस्ताव ऐसा है जिसे बिना नोटिस के इजाजत नहीं देना चाहिये।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि बिना नोटिस के प्रस्ताव के मानी यह नहीं हैं कि आप उससे पूर्व रूप से अनभिज्ञ हों, आपके सामने ही वह न आया हो। बिना सूचना के भी जो प्रस्ताव लाये जाते हैं उनकी भी लिखित सूचना माननीय मंत्री को देनी होती है। मेरा तात्पर्य दो दिन अथवा एक दिन के नोटिस से है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव को सुनने के बाद ही आपकी आपत्ति पर निर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बजट प्रस्तुत करने क लिये जो समय व तारीख निश्चित हो अगर उस समय सरकार उसे पेश न कर सके तो यह सरकार की अयोग्यता का द्योतक है और वह सरकार फेल समझी जानी चाहिये। बिजली भले ही फेल हो गयी, लेकिन सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह अपना बजट निश्चित समय पर पेश करती और अगर नहीं करती तो फिर उस सरकार को फेल घोषित करके आपको उठ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रस्ताव का स्वरूप पहले देख लूं तभी उस पर अपना निर्णय दे सकूंगा।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१५ के उप नियम १६ को निलम्बित कर दिया जाय। साथ ही मेरा प्रस्ताव यह है कि बजट के अनुदानों को और वोट आन एकउंट्स को प्रस्तुत करने के लिये सदन आज रात्रि के ८ बजे बुलाया जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो निवेदन कर दिया कि जनतंत्र की कुछ परम्परायें हैं। पीठासीन अधिष्ठाताओं और अध्यक्षों ने जो निर्णय हैं आज तक के उनमें यह पहली मिसाल है कि श्रीमन् ने यहां बैठते ही माननीय बनारसीदास के उस प्रस्ताव की आज्ञा दे दी जिसके लिय व्यवस्थित रूप से पेश होनेका कोई अधिकार नहीं था। .नियम निलम्बन की एक परम्परा रही है। वह परम्परा यह रही है कि जब माननीय अध्यक्ष किसी नियम को निलम्बन करने के लिये आवश्यक समझते रहे हों अथवा ठीक समझते रहे हों तब उसे निलम्बित कर देते थे। न कि ऐसा कि नियम निलम्बन का प्रस्ताव इस प्रकार का हो कि सरकार की सारी अकर्मण्यता, उसके अनुत्तर-दायित्वपूर्ण व्यवहार को छिपाने के लिये और साथ ही साथ प्रदेश की जनता को धोखे में रखने के लिये यह सब काम हों। आप इस प्रस्ताव को पेश न करायें। नियम ११५ में आप देख लें। प्रस्ताव बिल्कुल लिखित रूप में आना चाहिये। और नियम निलम्बन के साथ मैं एक और टकड़ा लगा दिया कि यह सदन ८ बजे तक बैठे। मैं समझता हूं कि उस समय तक की कोई बात हो नहीं हो सकती। इस पर आप कोई अपनी व्यवस्था न दें। मैं जानता था कि उनका मतलब केवल इतना है कि ये बन्द शब्द किसी प्रकार इस कार्यवाही में आ जाय। मेरा निवेदन है कि आप इसको कार्यवाही से निकलवा दें और जिन नियमों का मैंने हवाला दिया था उनमें

राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है, मंत्री.जी को तो बिलकुल ही नहीं है, आपके पास राज्यपाल की कोई सूचना नहीं है। राज्यपाल महोदय को भी इस समय इस्तीफा दे देना चाहिये जहां भी इस समय वे मौजूद हों वहां से ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके सदन में शान्ति रखें।

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद--

समय पर बजट पेश न कर सकने के बाद इस सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात स्पष्ट हो गयी। मैं आभारी हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने अपनी आपत्ति पर प्रकाश डाला। मैं सूचना के लिये सदन का ध्यान नियम १९५ की ओर दिलाऊंगा। जो इस प्रकार है:--

"अनुपूरक अथवा अपर अनुदान अथवा अतिरिक्त व्यय के लिये अनुदान--

(१) राज्यपाल अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत अनुपूरक अथवा अपर अथवा अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों के लिये मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये दिन नियत कर सकेंगे।"

तो माननीय राज्यपाल को इसमें दिन नियत करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आज का दिन नियत कर दिया। इसी प्रकार नियम १८३ में भी जो आय-व्ययक और उसका उपस्थापन से संबंधित है शब्द 'दिन' का ही प्रयोग किया गया। राज्यपाल महोदय ने आज का दिन नियत किया। अब कोई दूसरा दिन नियत करने का प्रस्ताव हो तो वह अवश्य ही उसके प्रतिकूल होगा। लेकिन अभी जो प्रस्ताव है उसमें समय को बढ़ाने या दूसरा समय नियत करने की बात है। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि ऐसी आपत्ति जिस पर किसी का कंट्रोल न हो। प्राकृतिक कारणों से कोई चीज यहां न पहुंचे, उसमें देर हो, तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसका कोई ऐसा हल ढूंढ़ें जिसमें कार्य भी हो सके और जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उसका अपव्यय न हो। मैं आपकी इसमें अनुमति चाहता हूं।

इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आज हम बैठें किसी और समय, ८ बजे, ९ बजे, साढ़ ८ बजे, इस विशेष कार्य को प्रस्तुत करने के लिये। या दूसरे यह हो सकता है, वह आपकी अनुमति से हो सकता है--कि हम ८ बजे तक माननीय सदस्यों को वह सम्पूर्ण सामग्री पहुंचा दें और यह यहां पर प्रस्तुत हो जाय इस समय। इन दोनों में से जिसमें माननीय सदस्यों को सुविधा हो एक चीज हो सकती है। तो मैं माननीय नेता विरोधी दल का परामर्श चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति में वह दोनों में से कौन सी बात चाहते हैं?

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद--

मैं अध्यक्ष महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्ब्रेश्वर जी, मैंने माननीय नेता विरोधी दल को परामर्श के लिए बुलाया था। मैं उनका परामर्श ले लूं या उनकी तरफ से आप देना चाहें तो ठीक है?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने निश्चय को दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सदन के सामने इस विशेष परिस्थिति में दो विकल्प रखें। एक तो यह कि हम आज के दिन इसको प्रस्तुत होने दें और समय ८ बजे, साढ़े आठ बजे, नौ बजे जो भी सुविधाजनक हो, उस समय बैठें, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आजाय तो हम और आपको उसका समाधान ढूंढ़ना है। दूसरा यह कि इस समय हम इसको प्रस्तुत हो जाने दें और जो सामग्री प्रस्तुत होना है उसको निलम्बित कर दें और मैं प्रबंध कर दूं कि वह ८ या ९ बजे तक आपको मिल जाय। अब जो भी आप परामर्श देना चाहें, देने की कृपा करें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बनारसीदास ने ३१५ नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है। क्या आपने उसको स्वीकार कर लिया है? अगर कर लिया है तो उसको सदन के सामने रखें और जो भी कार्यवाही करना चाहें करें। लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया है तो आप किस नियम के अनुसार नेता विरोधी दल से परामर्श मांग रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी आपत्ति समझी। मैं आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा यहां पर बैठकर केवल इतना ही कार्य नहीं है कि हम अपनी शक्ति में लगे रहें। अगर कोई ऐसी कमी है, जो किसी विशेष कारण से है, उसके लिये भी जिम्मेदारी है, यह अलग चीज है, लेकिन सदन के कार्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये। मैं अभी प्रस्ताव पर नहीं आ रहा हूं, पहल में माननीय नेता विरोधी दल का परामर्श चाहता हूं कि वह अपना सुझाव दें।

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं है।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अभी आपने कहा कि प्राकृतिक कारणों से बिजली गिरती है। मेरा निवदन यह है कि बिजली गिरती है जाती नहीं है। हमारे मंत्री जी ने कहा कि बिजली चली गई। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा प्राकृतिक कारण हो गया है?

श्री अध्यक्ष—

मैं आशा करता था कि माननीय सदस्य इतनी बारीकी में न जायं। एक विशिष्ट परिस्थिति में क्या चीज हो सकती है, इसके लिये मैंने नेता विरोधी दल का आह्वान किया है। मैं उनको सुनना चाहता हूं। (व्यवधान) मेरा काम आप करने लगेंगे तो कठिनाई होगी। मैंने यह भी इजाजत दी है कि अगर माननीय नेता विरोधी दल के परामर्श से माननीय टम्बेश्वर प्रसादजी कहना चाहते हैं तो वह भी उतना ही मान्य है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया सदन की ओर से राज्यपाल महोदय को सूचित करें कि आपकी सरकार आपके द्वारा निर्धारित समय पर (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आप राज्यपाल महोदय को यह सूचना द दें कि आज यह असमर्थ रह हैं और

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]
कदाचित् और भी आगे असमर्थ रहेंगे क्योंकि मेरा कहना यह है कि उनकी गुटबंदी के कारण कुछ तय न हुआ हो। इसलिये मेरा कहना है कि आप राज्यपाल महोदय को क्षोभ के साथ यह सूचित कर दें कि आज यह सरकार जो उनकी बनाई हुई है यह बजट पेश करने में असमर्थ रही है, इसलिये यह विधान सभा इस क्षोभ के साथ माननीय राज्यपाल से यह मांग करती है कि चूंकि सरकार की अकर्मण्यता के कारण बजट और वोट आफ एकाउन्ट नहीं पेश हो सका है, इसलिये यह सरकार फेल है। इस पर राज्यपाल महोदय अपनी व्यवस्था दे दें और जब वह अपनी व्यवस्था दे देंगे तभी हम इनको सुनेंगे।

कुछ सदस्य—

आज तय तो हो गया है। अब हर काम में क्यों बाधा डाल रहे हैं?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या यह एक सरकारी टेस्ट है? अध्यक्ष महोदय, देखिये आपको भी सरकारी टेस्ट समझ लिया है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस समय यह सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकी है। विधान सभा अपनी ओर से इस क्षोभ को व्यक्त करते हुये राज्यपाल को एक पत्र भेज दें और मेरा प्रस्ताव भेज दें तथा माननीय बनारसीदास को आप यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है कि मैंने जो परामर्श नेता विरोधीदल से मांगा था वह हमें नहीं मिला। मेरा प्रश्न सीधा था कि जो विषय परिस्थिति हमारे सामने है उसे देखते हुये और प्रक्रिया नियमावली को देखते हुये नियमों के अधीन हम कार्य को पूर्ण करने में सहायक हों। दिन तो राज्यपाल तय कर चुके हैं, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, समय के बारे में जो आपका प्रस्ताव हो उसे आप रखें।

वित्त मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मैं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद की जानकारी के लिय निवेदन करना चाहता हूं कि इस आशंका के निवारण के लिये नियमों में स्पष्ट उल्लेख होते हुये भी, सरकार ने राज्यपाल से भी इस बात की अनुमति ले ली थी कि बजट चार बजे के बजाय इसे हम ८ बजे पेश करें।

श्री अध्यक्ष—

ले ली थी तो अच्छा हुआ, यों इसकी आवश्यकता नियमों के अन्तर्गत नहीं थी, समय में परिवर्तन यह सदन स्वयं कर सकता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, आप सरकारी कार्य और इस सदन के कार्य में कुछ फर्क करें, तो हमें बड़ी सुविधा होगी। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपको यह व्यवस्था देनी है कि इस समय यह प्रस्ताव पेश हो सकेगा या नहीं। इसमें कोई समझौता कदाचित् हमारा और उनका नहीं हो सकता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह सरकार फेल हो गयी है और इसमें आपकी मध्यस्था किसी जगह आवश्यक नहीं है। आप उनको यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि इसकी कोई सूचना नहीं थी। जो अभी बहुगुणा जी ने राज्यपाल की अनुमति की बात कही, इसकी लिखित सूचना भी उन्होंने नहीं दी जो नियम ११५ में आवश्यक थी। मेरा निवेदन है कि आप इन्हें किसी भी हालत में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दें।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप इस विषय की लीगलिटी में न जाएं, क्योंकि इस विवाद में जनता का एक हजार रुपया पर आवर जाया किया जा रहा है। यह जनता का पैसा इस तरह से जाया नहीं किया जाना चाहिये था।

श्री बनारसीदास—

माननीय सदस्य ने जो सरकार की असमर्थता के बारे में कहा था उसक विषय में मुझे यह कहना है कि सदन का लैमडेक सेशन करने का निश्चय किया गया था। किन्तु विरोधी दलों ने उस पर आपत्ति की और कहा कि लैमडेक सेशन न करके नई विधान सभा का सेशन ही हो। हमने उनकी बातों का मान कर यह निश्चय किया कि नई विधान सभा का ही सेशन किया जाए जो वोट आफ एकाउन्ट पास करे। तो १४ तारीख को यह सरकार बनी और इस सरकार के सामने समय नहीं था कि वह इतनी जल्दी अनुपूरक बजट और वोट आफ एकाउन्ट सदन के समन पेश कर सके। फिर भी उसने पूरा प्रयास करके उसे किया, किन्तु बिजली के फ्ल्योर के कारण काम रुक गया और इसलिये इसकी जरूरत पड़ी। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि नियम ३१५ के अनुसार रूल को सस्पेंड किया जा सकता है जिसका अधिकार सदन को है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो दूसरी बात करने लगे।

श्री बनारसीदास —

रूल १६ में यह संशोधन कर दिया जाए कि सदन को स्थगित करके पुनः ८ बजे इसे बुलाया जाए और फिर तब तक बैठे जब तक वोट आन एकाउन्ट और अनुपूरक बजट यहां पर पास न हो जाएं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जरा स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जो ९, १० तथा ११ आइटम्स के बारे में कहा है उससे संबंधित जो कार्यक्रम होगा वह उस समय होगा या सारे कार्यक्रम के लिए उसी समय होगा या बाकी आइटम्स इसी समय हो जायं और केवल उन्हीं तीन आइटम्स को इस समय न लकर किसी अन्य समय लिया जाय ?

श्री बनारसीदास—

केवल तीन के लिए ही मेरा प्रस्ताव है कि इस समय सदन को स्थगित करके ८ बजे लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

तो अब प्रस्ताव इस रूप में है कि आइटम नं० ९, १०, ११ को इस समय न लिया जाय। सदन बाकी कार्य करके उठ जाय और उन तीन आइटम्स पर विचार के लिए सदन ८ बजे पुनः बैठे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन् आपने कोई व्यवस्था तो दी नहीं। क्या आपने पता लगा लिया कि बिजली दो तीन घंट फेल रही है ? इस अनियमितता से सरकार भी फेल हो गयी। मेरा निश्चित मत है कि आप भी इनके दांव में आ रहे हैं। आप कृपया स्पष्ट व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर किसी माननीय सदस्य की इच्छा होगी तो मैं उसकी अलग से जानकारी कर लूंगा। आज प्रश्न यह है कि हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाय जिसकी आपेक्षा न हो तो उसके कारण

[श्री अध्यक्ष]

कार्य में बाधा न आवे इसलिए इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव को नियम संगत समझता हूं। इससे सदन के कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता मिलती है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि अनुपूरक अनुदान से संबंधित आइटम नं० ९ १० तथा ११ पर विचार करने के लिए सदन को इस समय स्थगित कर दिया जाय और इसके लिये फिर आज आठ बजे से बैठें।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आइटम संख्या ९, १० तथा ११ पर विचार करने के लिए सदन इस समय स्थगित होकर ८ बजे पुनः बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

यह तरीका तो बिलकुल गलत अपनाया गया है। आप और हम इस सदन में सदा रहे हैं और ऐसा तरीका तो कभी नहीं अपनाया गया और अगर आपने तय ही कर लिया है कि इसे मंजूर कराना ही है और सरकार की सहायता करनी है तब तो बात दूसरी ही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो आपका सहयोग चाहता हूं कि जब तक कोई हानि न होवे तो तब तक सभी माननीय सदस्य कार्यक्रम को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस दृष्टि से मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव उचित है और इसलिए मैंने इसे मत के लिए सदन में सामने रखा है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

(पक्ष में—१९२
विपक्ष में—७६।)

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं पंचायत राज रूल्स में पंचायतीराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१९०–क ३३–६–६४ दिनांक २७ जुलाई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारण नियमावली, १९६३, में प्रख्यापित संशोधन*

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं उत्तर प्रदेश (नगर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारत नियमावली १९६३ नगर पालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८१०–सी ११–सी–१२२–६३, दिनांक ९ नवम्बर १९६६ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६, में शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६, में लिख गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४१ पर)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६, में शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६, में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४२ पर)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, में शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, में दिए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ४३ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने २ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ७ दिसम्बर, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १८ दिसम्बर, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह १९६६ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था संपत्ति अपव्यय निवारण (अस्थायी अधिकार) प्रवृत्त रहने का (विधेयक), १९६६

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक,

१९६६; पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने २ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा अपनी दिनांक ८ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ दिसम्बर, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त-शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ५ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ५ दिसम्बर, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने २ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६, का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने २ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ८ दिसम्बर, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सायंकाल ८ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद ४ बजकर ५८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और रात्रि के ८ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई ।)

१९६६–६७ के तृतीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के तृतीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं ।

१९६७–६८ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं १९६७-६८ का बजट पेश करता हूं । श्रीमन्, इस अवसर पर पहले मैं इस सम्मानित सदन के नव-निर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं । हमारा राज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा है । अगली फसल की पैदावार कम होने की संभावना और लगातार सूखा पड़ने की आशंका को देखते हुए हमें आगे और भी कठिन दौर से होकर गुजरना पड़ सकता है । ऐसी अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए हमें सम्मिलित रूप से पूरा-पूरा प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण या किसी वित्तीय वर्ष का बजट विधान मण्डल के समक्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष में पेश करना आवश्यक है । आम चुनाव के बाद नयी सरकार कुछ ही दिनों पहले बनाई गई और उसको नयी नीतियां निर्धारित करने और उनके अनुसार अपने बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में अवश्य कुछ समय लगेगा । किसी भी जीवित प्राणी की तरह राज्य भी समय के प्रभाव से नहीं बच सकता है । नयी-नयी समस्याएं उठती हैं जिनके बारे में फिर से विचार करना होता है और पिछले अनुभव से नयी-नयी धारणाएं भी उत्पन्न होती हैं । पहले से अमल में लायी जा रही नीतियों पर फिर से गौर करना जरूरी हो जाता है और प्रगति बनाए रखने के लिए उनमें हेर फेर करने पड़ते हैं । फिर भी चूंकि चालू वित्तीय वर्ष जल्दी ही खत्म होने वाला है इसलिए बजट वर्ष में वर्तमान सेवाओं तथा चालू स्कीमों पर जिनमें योजना की स्कीमें भी शामिल हैं, व्यय की पूर्ति के लिए प्रशासन को जितनी धनराशि की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करना जरूरी है । अतः अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में जितना व्यय होने की संभावना है उसकी पूर्ति के निमित्त इस सम्मानित सदन से 'लेखानुदान' स्वीकृत करने के लिए निवेदन करने का निश्चय किया गया है ।

जिन वर्षों में राज्य विधान मण्डलों के लिए पिछले तीन आम चुनाव किए गए थे उनमें नए वित्तीय वर्ष के लिए दो बजट पेश करने पड़े । पहला बजट 'लेखानुदान' के लिए स्वीकृत प्राप्त करने के वास्ते चुनाव के पूर्व के विधान मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जाता था और उसमें सिर्फ स्वीकृत बचनवद्ध व्यय या स्थायी प्रकार के व्यय के लिए की गयी व्यवस्था शामिल की जाती थी । अंतिम बजट इसके बाद वित्तीय वर्ष के दौरान नए विधान मण्डल के समक्ष नयी सरकार बन जाने के पश्चात् पेश किया जाता था और उसमें स्थायी प्रकार के व्ययों तथा नई स्कीमों अर्थात् दोनों के लिए की गयी व्यवस्था शामिल की जाती थी । प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर पुरानी परंपरा को बदल कर स्थायी प्रकार के व्ययों की पूर्ति के लिए 'लेखानुदान' (वोट आन एकाउन्ट) बजट नए विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करके नयी परंपरा शुरू की गई है ।

संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार यह आवश्यक है कि जब विधान मण्डल से 'लेखानुदान' क लिए स्वीकृति मांगी जाय तो वह वार्षिक वित्तीय विवरण भी उसके समक्ष प्रस्तुत किया

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

जाय जिसके बारे में 'लेखानुदान' मांगा गया हो। इसके अनुसार, अगले संपूर्ण वित्तीय वर्ष के अनुमानों को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इस सदन के समक्ष रखना आवश्यक है। उन कारणों से जो पहले बताए जा चुके हैं, इन अनुमानों में नई स्कीमों के लिए किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए, जो बजट मैं पेश करने जा रहा हूं उसमें कोई नई बातें शामिल नहीं हैं। अतः यह जरूरी नहीं समझा गया कि मैं इन अनुमानों का कोई ब्योरा दूं या उनके बारे में कोई विचार प्रकट करूं। ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों को तैयार करने का काम भी अभी रहने दिया गया है और वार्षिक वित्तीय विवरण एक संक्षिप्त बजट के रूप में तैयार किया गया है जिसमें आवश्यक सूचना दे दी गई है।

मैं ब्यौरेवार बजट पर विचार करते समय राज्य की वित्तीय स्थिति की परंपरागत विस्तृत समीक्षा करना चाहूंगा। इस बीच सदन में जो श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें ब्यौरे दिए हुए हैं। चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष की समग्र रूप में बजट संबंधी स्थिति का मोटे तौर पर उल्लेख कर देना ही मेरे लिए काफी होगा।

चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट अनुमानों में जो ३१ लाख रुपये का राजस्व (रेवेन्यू) घाटा था वह अब बढ़कर पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) अनुमानों में ३ करोड़ ५९ लाख रुपया हो गया है। इस वर्ष के सूखे की स्थिति के कारण भू-राजस्व (मालगुजारी) के बड़े पैमाने पर वसूली न किए जाने की मंजूरी दिए जाने के बावजूद, पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत, जिनमें भारत सरकार के अनुदान भी हैं, कुल मिलाकर ३ करोड़ ५२ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। साथ ही मुख्य रूप से सूखा संबंधी स्कीमों क कारण जि में सहायता देने के कार्यक्रम भी शामिल हैं, अतिरिक्त व्यय होने से राजस्व व्यय में ६ करोड़ ८० लाख रुपये की वृद्धि होगी। अनुमानित राजस्व घाटे को, राजस्व रक्षित निधि (रेवेन्यू रिजर्व फण्ड) से उतनी ही धनराशि संक्रमित करके पूरा करने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि पूंजी लेखे के अन्तर्गत मूल बजट में प्रत्याशित १६ करोड़ १४ लाख रुपये का घाटा अब बढ़कर २५ करोड़ २१ लाख रुपये तक पहुंच जायगा। इस वर्ष के प्रारंभिक शेष को शामिल करके, जैसा कि वह पुनरीक्षित अनुमानों में दिखाया गया है, कुल घाटा लोक लेखा के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध आय द्वारा, जिसमें सिक्योरीटियों में लगाई हुई लगभग ५ करोड़ रुपये की वापस ली जाने वाली धनराशि भी शामिल है, काफी हद तक पूरा हो जायगा। यहां यह कहना असंगत न होगा कि इस वर्ष के सूखे से उत्पन्न गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमानों के द्वारा २६ करोड़ ८२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

अगले वर्ष की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जो वित्तीय स्थिति पैदा होगी उसके बारे में अभी से कुछ कहना ठीक न होगा। राज्य की चौथी योजना के लिए आयोजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) द्वारा ९२६ करोड़ रुपया निश्चित किय गया है, जिसमें से वर्तमान सूचना के अनुसार केंद्रीय सहायता के रूप में ४९५ करोड़ रूपया प्राप्त होगा और ४३१ करोड़ को रुपये की शेष धनराशि का प्रबंध राज्य को स्वयं अपने साधनों से करना होगा। लेकिन १९६७-६८ की वार्षिक योजना का अंतिम आकार इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक केंद्रीय सहायता के बारे में अंतिम रूप से अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते के लिए एक-सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है। इस आयोग की सिफारिशें मिलने पर जो निर्णय लिया जायगा उसका भी राज्य के साधनों पर काफी असर पड़ेगा। इसलिए जब सदन की बैठक १९६७-६८ के ब्योरेवार वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने के लिए फिर होगी तभी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। स्थिति ऐसी होते हुए भी सरकार ने निर्णय किया है कि अगली रबी से भू-राजस्व (मालगुजारी) पर कोई अधिभार (सर-चार्ज) न लगाया जाय। केवल इस निर्णय से ही चतुर्थ योजना की शेष अवधि में लगभग २० करोड़ रुपये की कमी साधानों में आ जायगी।

इस प्रकार वर्तमान अनुमानों में ६६ लाख रुपये का घाटा होता है, यद्यपि नयी स्कीमों के लिए इन अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । साथ ही पूंजी-लेखे (कैपिटल एकाउन्ट) के अन्तर्गत अनुमानों में १८ करोड़ ९६ लाख रुपये का घाटा निकलता है । इस घाटे को लोक लेखे (पब्लिक एकाउन्ट) के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध आय से, जिसमें सिक्योरिटियों में लगाई गई लगभग ९ करोड़ रुपए की वापस की जाने वाली धनराशि शामिल है, पूरा करने का प्रस्ताव है ।

हमारे सामने बड़ी कठिन समस्याएं हैं । उन्हें हल करने के लिए मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य और दल के हार्दिक सहयोग की कामना करता हूं । सहयोग के बल पर ही सरकार वर्तमान परिस्थितियों पर काबू पा सकेगी और इस राज्य के प्रत्येक नागरिक का जीवन अधिक सुखी और समृद्ध बनाने में सफल हो सकेगी ।

श्रीमन्, मैं वर्ष १९६७-६८ का बजट पेश करता हूं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के साथ नियमों के अन्तर्गत जो विस्तृत वर्णन हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और उसके लिए माननीय मंत्री जी ने असमर्थता प्रकट की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्याय १५ के नियम १८५(३) में यह दिया हुआ है कि प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदनन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण जो मदों में बंटा हो दिया जायेगा।" हमारे मन्त्री ने विवरण देने में असमर्थता प्रकट की है। उन को अनुदानों का ज्ञान ही नहीं है। जो अनुदान हमारे सामने रक्खे गये हैं उन के सम्बन्ध में मैं मानता हूं; परन्तु जो नयी योजनायें चालू होने वाली हैं उन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में विस्तार ज्ञान वित्त मन्त्रालय को होना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि वही सरकार काम कर रही है और इसलिए जितनी सूचना दी गयी है वह अपर्याप्त है। कृपया इसको फिर से दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, कदाचित् आपने सम्बन्धित लिटरेचर देख लिया होगा। इसमें जो अपेक्षा की जाती है वह इसमें है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप कृपया इसमें एक अनुदान का विस्तार बता दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण में स्वयं प्रकाश डाला है। ये अनुदान तो हम उन स्कीमों के खर्च के सम्बन्ध में लाये हैं जिनकी जानकारी सदन को है और बजट में उनके आंकड़े रख दिये गये हैं और श्वेतपत्र द्वारा माननीय सदस्यों को आवश्यक सूचना भी दे दी गयी है। अगर मैं छपा कर उसे पुनरावृत्ति सूचना की करता तो अनायास इस प्रदेश की जनता की कमाई का जो रुपया है वह खर्च होता। साथ ही जैसा माननीय सदस्य, श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी, चाहते हैं वैसा कभी पहिले भी नहीं किया गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया नियमावली में है। यह सही है कि माननीय वित्त मन्त्री के पास विवरण नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जितना प्रक्रिया नियमावली में है वह इसमें है।

१९६७-६८ का लेखानुदान

वित्त मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९६८, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अ ुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को लेखा-अनुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो १,६७,४२,८९,००० रुपये से अधिक न हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। इसके बाद मैं बता दूंगा।

श्री टम्बे श्वर प्रसाद—

मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रक्रिया नियमावली है उसमें जितनी आवश्यकता है उतना तो कर दिया गया है, ठीक है। परन्तु मन्त्री जी अपने भाषण में इसको और स्पष्ट कर दें तो अच्छा होगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया ध्यान में रख लें कि जब एक व्यवस्था का प्रश्न उठ रहा हो तो दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं होना चाहिये।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री जी अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के अनुसार यह कह रहे हैं?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

नियम १८६(३) है। माननीय मन्त्री जी को कदाचित् पुराने सदस्य होने का ध्यान नहीं रहा। वह यह भूल गये हैं कि अगर कोई पहले सूचना दी हुई होती है तो भी नये सदन को फिर से सूचना दी जानी चाहिये। आज जिस तरह से यह अनुदान पेश किया गया है उस में हम किस तरह से उस के ऊपर वाद विवाद कर सकते हैं। उदहारण के तौर पर ऋण में १५ करोड़ रुपया दिखलाया गया है, लेकिन उस को कोई डिटेल नहीं दी गयी है। जब तक उसके बारे में में पूरी जानकारी नहीं होगी किस प्रकार से उस पर विवाद किया जा सकता है। उसके लिए वह कहते हैं कि हम को उस के बारे में खुद पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री प्रताप सिंह के खड़े होने पर) माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रश्न उ ठ या है, अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, उसके अतिरिक्त किसी और विषय पर कहना

चाहते हैं, तो आप कृपया बैठें पहले उन के व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था हो जाए। जो हमारी नयी नियमावली है उसमें १८६(३) इस प्रकार है।

एक सदस्य—

हमारे पास नयी नियमावली है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आज मैंने अपने आसन को ग्रहण करने के बाद तुरन्त ही इस बात की जानकारी की और इस बात की हिदायत की कि आप लोगों को अविलम्ब प्रक्रिया नियमावली उपलब्ध करा दी जाए। मेरा विश्वास है इसके बाद जब आप यहां बैठेंगे तब तक आपको वह मिल जायेगी। इसके अलावा जो हमारे यहां नियमावलियां उपलब्ध थीं, वह विभाग से पार्टियों के कार्यालयों को भेज दी गयी थीं। तब तक आप उनसे अपना काम चला लें।

साधारण नियम यह है कि पुरानी सामग्री के सन्दर्भ में सूचनायें पढ़ी जाती हैं। लेकिन यह बिलकुल ठीक है कि आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी।

भावी-कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए माननीय नेता सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन को बतायें कि यह सदन कब तक चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह मैं स्वयं ही अभी बताने जा रहा था। २०-२१ का कार्यक्रम मैं बता रहा हूं। उस के बाद की जानकारी सोमवार को आपको दी जायेगी। २० तारीख को वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा। अनुदानों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ को तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७, सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापना, उस पर विचार एवं उसका पारण। और २१ तारीख को वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिए लेखानुदानों के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७, को सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। इस तरह से यह २० व २१ का कार्यक्रम हो गया।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि २० तारीख को ६६-६७ के अनुपूरक अनुदानों पर विचार होगा, लेकिन २१ का एक ही दिन १९६७-६८ के लेखानुदानों के लिए नाकाफी है। मैं चाहता हूं कि उसके लिये ४ दिन का समय दिया जाय। यह ४ मास के लिये बजट है; इसके लिए कम से कम ४ दिन की बहस करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सदन के बहुत पुराने और बड़े विज्ञ सदस्य हैं, हमारी नियमावली के अनुसार साधारणतः इस पर बहस नहीं होती, लेकिन हमने एक दिन का समय परामर्श से एलाट किया है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार कब होगा।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने २० व २१ का कार्यक्रम तो बता दिया है, अब हम २० तारीख को नेता विरोधी दल से परामर्श कर के आगे का कार्यक्रम तय कर लेंगे। अभी यह भी है कि २३ का जो कार्यक्रम छपा है उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की है कि उस दिन छुट्टी रहेगी क्योंकि उसके पहले और आगे छुट्टी है। यह इस पर निर्भर है कि हम सारे कार्यक्रम को किस तरह से पूरा कर सकें। अगर नेता विरोधी दल से परामर्श करके इस समय में ही हम काम चला सकें तो २०–२१ को हम बजट ले लेंगे और तय कर लेंगे।

अब हम उठते हैं और सोमवार, २० मार्च, १९६७, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर २४ मिनट पर सोमवार, २० मार्च, १९६७, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ मार्च, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १५ पर)

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष उनके १७ मार्च, १९६७ को प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास का अभिभाषण।

श्री सभापति,

श्री अध्यक्ष तथा

विधान मण्डल सदस्यगण,

राज्य में चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप विधान सभा के संघटन के पश्चात् विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने के अवसर पर, आपको सम्बोधित करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं इस अवसर पर विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं और निर्वाचक वर्ग द्वारा उनके प्रति प्रकट किए गए विश्वास के लिए उन्हें बधाई देता हूं। पुराने सदस्यों में से अनेक ऐसे हैं जो चुने न जा सके किन्तु मुझे विश्वास है कि वे राज्य की अन्य प्रकार से सेवा करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिन्हें विधान मण्डल द्वारा जनता की सेवा करने का प्रथम बार अवसर मिला है, उन्हें उन उच्च परम्पराओं को जो विधान सभा के कार्य-सम्पादन की विशेषता है अपनाने में कुछ भी समय न लगेगा।

देश के द्वारा, वयस्क मताधिकार के मूल आधार पर निर्मित लोकतन्त्रीय गणतन्त्रात्मक संविधान स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् इस राज्य की जनता ने, देश की शेष जनता की तरह, लोकतन्त्र में अपने विश्वास की पुष्टि की है और विश्व की प्रशंसा प्राप्त की है। हाल ही में, इस देश में जिस शान्तिपूर्ण, उचित और निष्पक्ष रीति से सामान्य निर्वाचन हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतन्त्रात्मक परम्परायें लोगों के हृदय में जड़ जमा चुकी हैं और इससे यह भी प्रकट होता है कि जिन व्यक्तियों को इतने बड़े पैमाने पर निर्वाचन-संचालन का कार्य-भार दिया गया था वे अपनी भारी जिम्मेदारियों तथा कर्त्तव्यों का पालन पूर्णरूप से सफलतापूर्वक तथा निष्पक्षता से कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर राज्य कर्मचारियों द्वारा ऐसी निष्ठा और योग्यता से किए गए कार्य की सराहना करता हूं।

जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में नयी सरकार ने केवल तीन दिन पूर्व प्रशासन की बागडोर सम्भाली है। अतएव यह स्वाभाविक है कि उसे अपनी आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, विधायी तथा अन्य नीतियों पर विचार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने तथा विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ आपके समक्ष रखने में कुछ समय लगेगा। इस पर भी मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि नई सरकार ने विभिन्न विषयों पर विचार करने और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय निकाल लिया है जिनका मैं अभी समुचित स्थानों पर उल्लेख करूंगा। चालू वित्तीय वर्ष में जो कि शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण और जब तक कि १९६७-६८ के बजट पर पूर्णतः विचार न कर लिया जाय और उसे पारित न कर दिया जाय तब तक प्रशासन और चालू योजनाओं को चलाने के निमित्त अपेक्षित निधियों की आवश्यकता के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि १९६६-६७ के लिए अनुपूरक अनुदान और १९६७-६८ के प्रथम चार महीनों के लिए लेखानुदान प्राप्त करने के निमित्त विधान-मण्डल का एक अल्पकालीन सत्र इस महीने में हो।

हमारी योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में सरकार की अधिकांश नीति तथा कार्य-क्रम पंचवर्षीय योजनाओं पर निर्भर होते हैं। राज्य की चतुर्थ योजना का आकार योजना आयोग द्वारा

अनन्तिम रूप से ९२६ करोड़ रुपया निश्चित किया गया था जिसमें ४९५ करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध होगा और शेष ४३१ करोड़ रुपया राज्य को अपने संसाधनों से जुटाना होगा। योजना में परिवार नियोजन को उच्च पूर्वता देने के साथ-साथ, कृषि कार्य-क्रमों के लिये २३३ करोड़ ६८ लाख रुपये, सिंचाई के लिये ८० करोड़ रुपए और विद्युत् शक्ति के लिए २८९ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। वर्ष १९६७-६८ के लिए १७० करोड़ रुपए की एक योजना भी योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी है। किन्तु वार्षिक योजना का अन्तिम आकार इस समय अवधारित नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न कारणों से, राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता अथवा राज्य के संसाधनों का जिनके उपलभ्य होने की सम्भावना है, एक निश्चित अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह आशा की जाती है कि जब आप १९६७-६८ के विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए एकत्र होंगे, तो सरकार आपके समक्ष एक स्पष्ट अनुमान प्रस्तुत कर सकेगी।

उन कारणों से जो अभी बताए गए हैं, मैं केवल उन अधिक महत्वपूर्ण विषयों तथा समस्याओं का ही उल्लेख करना चाहूंगा जिन पर मेरी नयी सरकार को तुरन्त ध्यान देना होगा।

खाद्य तथा बढ़ती हुई कीमतों की समस्या शायद उन आवश्यक समस्याओं में से है जिनको शीघ्र हल करना है। दोनों ही से राज्य की अधिकांश जनसंख्या, विशेषकर मध्यम वर्ग जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, बहुत संकटग्रस्त है। श्री चन्द्रभानु गुप्त एक ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी व्यक्ति हैं और इस राज्य की जनता के प्रति निरन्तर निष्ठावान रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मेरी नयी सरकार इन समस्याओं का हल उचित तत्परता से निकालेगी, किन्तु मेरा उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से भी अनुरोध है कि वे इन समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार के साथ सहयोग करें और ऐसी स्थिति न पैदा करें जो केवल उन्हें जटिल कर दें और उनका हल करना और कठिन बना दें। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आपको यह जानकर प्रसन्नता हुई होगी कि जिस दिन नयी सरकार ने पद भार सम्भाला, उसी दिन कर्मचारियों की 'कलम बन्द हड़ताल' वापस ले ली गयी और एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है जिसमें सरकार अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर सद्भावना तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है। सरकार ने कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं देने का पहले ही निर्णय ले लिया है और कर्मचारियों ने भी अपनी ओर से सरकार को यह विश्वास दिलाया है कि वे जनता की भलाई के लिए मेहनत तथा निष्ठा से कार्य करेंगे। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों के प्रश्न पर इस समय एक सदस्यीय आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है जिसकी नियुक्ति कुछ समय पूर्व की गयी थी और सरकार आयोग की अन्तिम सिफारिश प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लेना चाहती है। इसी बीच आयोग की सिफारिश पर सरकारी कर्मचारियों को कुछ अन्तरिम सहायता दी जा चुकी है और अन्तरिम सहायता के वार्षिक व्यय का अनुमान ४ करोड़ ४६ लाख रुपया लगाया गया है।

इसके साथ ही एक और कार्य जिसे नई सरकार ने अपने हाथ में लिया है वह प्रशासन के सामान्य स्तर, उसकी दक्षता और प्रभावशालिता में सुधार करना है। सरकार इस बात के लिए भी कृत संकल्प है कि प्रशासन में सभी फिजूलखर्ची बन्द की जाय और व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययिता की जाय जो प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के अनुरूप हो। इस उद्देश्य के लिए वह पिछले वर्षों में किए गए मितव्ययिता सम्बन्धी सभी सुझावों पर विचार करने का प्रस्ताव करती है और वह देखेगी कि सार्वजनिक व्यय में कमी करने के लिए कौन से अन्य उपाय किए जा सकते हैं।

वर्ष १९६५-६६ में वर्षा न होने के कारण अनाज के उत्पादन में भारी कमी हुई। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली खरीफ की फसल की पैदावार को सूखे से बहुत नुकसान हुआ और जाड़े में वर्षा न होने के कारण चालू रबी की फसल के अच्छे होने की सम्भावना भी नहीं रह गयी।

उपभोज्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सहकारिता के आधार पर नया बाजार के नाम से विभागीय स्टोर्स लखनऊ, इलाहाबाद और देहरादून के नगरों में स्थापित किए गए। ऐसे कुछ और बड़े कोआपरेटिव स्टोर्स राज्य के और नगरों में भी शीघ्र ही स्थापित किए जायेंगे। सरकार खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का यथोचित और समुचित वितरण सुनिश्चित करनेके लिए प्रभावकारी कदम उठाने के लिए भी कृत संकल्प है और वह यह देखेगी कि जमाखोरों और चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों द्वारा कृत्तिम अभाव न पैदा किया जाय।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निरन्तर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें बढ़ी हुई सिंचाई की सुविधाएं तथा रासायनिक उर्वरकों और खादों तथा उन्नत बीजों का वितरण सम्मिलित है। चतुर्थ योजना में कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। अधिक पैदावार वाले विदेशी गेहूं और धान की किस्में तथा प्रसंकर मक्का, ज्वार तथा बाजरे की बुवाई जिसमें उत्पादन के बढ़ाने की बहुत अधिक क्षमता है, चालू की गयी है और उन क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई की सुविधायें सुनिश्चित हैं इन किस्मों की पैदावार बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि इन क्षेत्रों में बहुत सी फसल उगायी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष १९६७–६८ के दौरान २६ लाख ७५ हजार एकड़ भूमि को अधिक पैदावार वाले स्थानीय किस्मों के कार्य-क्रम के अन्तर्गत लाया जाय। गेहूं और धान के सघन कृषि कार्यक्रम का प्रसार सघन जिलों के ५० नए खण्डों में किया जायगा।

सहकारी आन्दोलन के अधीन, नया बाजारों के संघटन के अतिरिक्त, अल्पकालीन तथा औसतकालीन ऋण प्रणाली का अभिनवीकरण तथा उन्नत और सघन खेती के निमित्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए फसल-ऋण प्रणाली आरम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक अपने सम्बद्ध जिला वित्त पोषण एजेंसियों के माध्यम से कृषकों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्रभावशाली रूप से पूरा करने में समर्थ रहा। उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक ने राज्य सरकार की समुचित सहायता से १७ जिलों में लघु सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और अन्य जिलों में ऋण देने के कार्य-क्रम को बढ़ाने का कार्य तीव्रगति से शुरू कर दिया है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य में सिंचाई की सुविधाओं के विकास पर काफी जोर दिया गया है। कुछ बड़ी और बहुत सी मध्यम तथा छोटी योजनाओं के निर्माण के कारण पिछले १५ वर्षों में सिंचाई की सुविधायें ६६ प्रतिशत बढ़ गयी हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य के सिंचाई साधनों से सिंचाई की कुल क्षमता १२७ लाख ६९ हजार एकड़ भूमि हो गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बड़ी तथा मध्यम योजनाओं से ८१,९८० एकड़ और छोटी सिंचाई योजना से १ लाख २० हजार, ६०० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो जाने का अनुमान है। वर्ष १९६७–६८ के दौरान पूंजी लागत से कुछ ही नयी योजनायें हाथ में ली जा सकती हैं क्योंकि उसमें से अधिकांश चालू योजनाओं को पूरा करने में व्यय किया जायगा, जिसके कारण बड़ी तथा मध्यम योजनाओं से ७४ हजार एकड़ और छोटी सिंचाई योजनाओं से १ लाख १० हजार एकड़ सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होने की सम्भावना है।

दूसरी समस्या जिसका सरकार को सामना करना है वह राज्य में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। विभिन्न आपातिक उपायों द्वारा सिंचाई के प्रयोजन के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी योजनायें चलायी गयी हैं। इलाहाबाद, बांदा तथा मिर्जापुर के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में आपातिक पोषण कार्य-क्रम भी चलाया गया जिसके अन्तर्गत छोटे बच्चों, दूध पिलाने वाली अथवा प्रत्याशी माताओं को दूध, दलिया, गेहूं तथा अन्य भोजन बांटा गया। साग-सब्जी के बीज एवं बीजांकुरों की राज सहायित बिक्री की दर पर व्यवस्था भी की गयी है। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ निःशुल्क गेहूं, बिस्कुट तथा मल्टी विटामिन की गोलियां भी बांटी गयी हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर लोगों को कुछ लाभकारी रोजगार देना आवश्यक था जांच-कार्य (टेस्ट वर्क) शुरू किए गए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे आने वाले छात्रों को विपत्तिकालीन छात्र-वृत्ति देने के लिए निधियां भी प्रदिष्ट की गयी हैं।

शीघ्र औद्योगीकरण न केवल राज्य की अर्थ-व्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए वरन् कृषि उत्पादन की वृद्धि में सहायता देने और कृषि भूमि के भार को हल्का करने के लिए भी राज्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन चार और परियोजनाओं को अर्थात्, फाउन्ड्री फोर्ज फैक्टरी, हरिद्वार, ट्रैक्टर मेकिंग प्लांट, वाराणसी, मिकैनाइज्ड फुटवियर फैक्टरी, आगरा तथा एक मशीन टूल फैक्टरी राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। मिर्जापुर के कोटा कजराहाट तथा डल्ला-बिल्ली के क्षेत्रों में चूने के पत्थर की खानों का उपयोग करने के लिए, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन डल्ला में ·४ मिलियन टन की क्षमता वाले सीमेंट का एक नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

पांचवां सहकारी चीनी कारखाना ओरई (वाराणसी) में स्थापित किया जाने वाला है जिसके लिए भारत सरकार ने अभिप्रायपत्र जारी किया है। भारत सरकार ने मेसर्स हिन्दुस्तानी शुगर मिल्स लिमिटेड, गोलागोकर्णनाथ, जिला खीरी को प्रतिदिन १,४०० टन पेराई की क्षमता वाले प्लांट को पलिया कलां में स्थापित करने की अनुमति दे दी है। चीनी उद्योग को सहायता देने के लिए प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ाने तथा उसमें निहित शर्करा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से चीनी के कारखानों के चारों तरफ एक सघन गन्ना विकास कार्य-क्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य के पूर्वी जिलों के अतिरिक्त जो पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अन्तर्गत आते हैं, उत्तर-काशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के सीमावर्ती जिलों तथा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के जिलों की अपनी विशेष समस्यायें हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती जिलों के विकास के लिए पहले से ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं विशेष धनराशियां प्रदिष्ट की जा रही हैं तथा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के शेष पर्वतीय जिलों के सम्बन्ध में सरकार ने इन जिलों की आवश्यकताओं को मालूम करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए अब एक पृथक बोर्ड संगठित करने का निश्चय किया है।

सरकार विद्युत् शक्ति के अधिक उत्पादन और वितरण के लिए पूरी तौर से बराबर प्रयास करती रही है। अनेक बड़ी हाईडिल तथा थर्मल योजनाओं के कार्यों में, जिन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था, तेजी से प्रगति हो रही है। कुछ योजनाओं के पूरे हो जाने के कारण अब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता ९१० मेगावाट है। ग्राम विद्युतीकरण तथा राजकीय एवं निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों को बिजली देने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। जनवरी, १९६७ के अन्त तक ४,७९१ बस्तियों में बिजली लग चुकी है। कृषि सम्बन्धी त्वरित कार्य-क्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राज्य विद्युत् परिषद् ने चालू वित्तीय वर्ष में १७,००० से अधिक नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों में बिजली लगाने के लक्ष्य को पूरा करके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में ७ करोड़ ५० लाख रुपए की लागत से १२,००० नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है।

मुझे प्रसन्नता है कि कुल मिलाकर राज्य में लगभग पूर्ण रूप से औद्योगिक शान्ति रही है। विभिन्न श्रम सम्बन्धी विधियों को लागू करने का प्रयास किया गया है तथा अनेक श्रमिक कल्याण केन्द्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कल्याणकारी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। राज्य द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों में ५४ कार्य परिषदें बनाई गयीं। पेमेन्ट आफ बोनस

ऐक्ट, १९६५ के उपबन्धों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए भी कदम उठाए गए। एक उच्चस्तरीय समिति ने जिसने निजी उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संविलीन करने के विषय पर विचार किया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। वर्ष के दौरान में बिजली कर्मचारियों को उनके मूल वेतनों के २५ प्रतिशत के बराबर तदर्थ वृद्धि भी स्वीकृत की गयी थी, जो कि कम से कम १५ रुपए तथा अधिक से अधिक ३० रुपए होगी।

राज्य में बड़े पैमाने पर वन विकास कार्य-क्रम चलाए जा रहे हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत लाभप्रद, औद्योगिक तथा शीघ्र पैदा होने वाली जाति की लगायी गयी रोपावनियों से अगली कुछ दशाब्दियों में ही मैच वुड, प्लाई वुड, हार्ड बोर्ड और कागज तथा लुग्दी निर्माण करने की अनेक नयी इकाइयों को कच्चा माल सप्लाई करना सम्भव हो जायगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ओलियों रेजिन (तेलीय राल) उत्पादन में वृद्धि करने की एक महत्वपूण योजना पर ध्यान दिया जायगा जो कि विदेशी मुद्रा अर्जन करने का एक साधन है। फ्युएल वुड-कम फार्म फारेस्ट्री नाम से एक नयी योजना चलायी जा रही है जो कि हमारे गांवों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी।

सड़क यातायात के विकास पर सरकार ध्यान देती रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। लागत की शेष धनराशि को नयी सड़कों और पुलों के निर्माण तथा वर्तमान पक्की सड़कों के सुधार और पुनर्निर्माण में लगाने का प्रस्ताव है। पर्वतीय जिलों में सड़क यातायात का विकास करने पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीयकृत पथ-परिवहन व्यवस्था सर्वसाधारण की अच्छी सेवा करती रही है।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य सम्पादन को ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है और इसमें सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के अगले निर्वाचन एक साथ किए जायेंगे जो किसी समय इस वर्ष के अन्त तक में गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के साथ प्रारम्भ होंगे। गांव पंचायतों के लिए निर्वाचन, विधान सभा की निर्वाचक नामावलि के आधार पर और गुप्त मतदान द्वारा किया जायगा तथा न्याय पंचायतों का संघटन गांव सभाओं के सदस्यों में से सम्बद्ध गांव पंचायतों के सदस्यों द्वारा, गुप्त मतदान से पंचों के निर्वाचन के आधार पर किया जायगा।

राज्य की पांच नगर महापालिकाओं का प्रशासन इस समय शासकीय प्रशासकों में निहित है और इससे उनके प्रशासन एवं वित्तीय स्थिति में विशेष सुधार हुआ है। राज्य की नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए उनकी अनेक सेवाओं को केन्द्रीयित कर दिया गया है। अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्न, के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण नागर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को जो कठिनाइयां हो गई हैं उनको देखते हुए सरकार ने उनके-वेतन क्रमों में संशोधन किए हैं जो १ अप्रैल, १९६७ से लागू होंगे। सवारी भत्ते की दरें भी पुनरीक्षित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त नागर, स्थानीय निकायों को निदेश दिया गया है कि वे दिनांक १ फरवरी, १९६७ से अपने उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, जिनकी कुल परिलब्धि १०० रु० प्रति माह से अधिक न हो, ५ रु० प्रति माह की वृद्धि कर दें।

सरकार, सामाजिक एवं हरिजन कल्याण कार्यकलापों में विशेष दिलचस्पी लेती रही है। बच्चों के लिए गोरखपुर में एक और अनुमोदित विद्यालय खोला गया है तथा जवानों के युद्ध पीड़ित परिवारों के बच्चों तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए देवरिया में एक आवास की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त अक्षम और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गयी है। हरिजनों तथा समाज के अन्य असमर्थ वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों के सम्बन्ध में लागातार विशेष ध्यान दिया

जाता रहा है। चालू वर्ष से औषधि शास्त्र, अभियन्त्रण तथा टैक्नालोजी में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के उन छात्रों को सामान्य छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों एवं उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए प्रति वर्ष ३०० रु० से लेकर ५०० रु० तक के विशेष अनुदान दिए जायेंगे। मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी तथा फैजाबाद की न्याय पंचायतों को प्रयोगात्मक रूप से अनटचेबिल्टी (अफेन्सेस) ऐक्ट, १९५५ के अधीन अपराधों के संज्ञान का प्राधिकार दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संचारी रोगों के नियन्त्रण, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता का प्रसार तथा परिवार नियोजन कार्य-क्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हमारी सीमाओं पर स्थिति अभी तक सन्तोषजनक नहीं है। अतएव भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार विभिन्न प्रतिरक्षा उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अनेक असैनिक प्रतिरक्षा सेवाओं में भरती तथा प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं और शेष के सम्बन्ध में भी शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त हो जाने की आशा है। होम गार्ड संगठन को भी दृढ़ किया जा रहा है। महिला होम गार्डों को डाक-तार सेवा (पोस्टल मेल सर्विस) तथा गृह-उपचारण में भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष होम गार्डों को उत्तर प्रदेश बन्द, पब्लिक कैरियर ओनर्स हड़ताल, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल तथा चौथे सामान्य निर्वाचन के दौरान में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के विभिन्न कार्यों पर तैनात किया गया। होम गार्डों ने अभूतपूर्व कर्त्तव्य निष्ठा दिखाई है और हमारी सहानुभूति उन पांच होम गार्डों के परिवारों के साथ है जो अपने कर्त्तव्य पालन में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हड़तालों और प्रदर्शनों के बावजूद राज्य में शान्ति और व्यवस्था सन्तोषजनक रही है।

इस अभिभाषण को समाप्त करने के पूर्व मुझे नई सरकार द्वारा लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के सम्बन्ध में कहना है जो उन्होंने अपने कार्यभार सम्भालने के बहुत ही थोड़े समय के भीतर लिया है। आपको याद होगा कि सितम्बर, १९६५ में पाकिस्तान द्वारा अचानक हमारे देश पर आक्रमण करने से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में मालगुजारी पर अधिभार लगाया गया था। यद्यपि आपातकालीन स्थिति अभी विद्यमान है लेकिन नई सरकार ने ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने के लिए मालगुजारी पर अधिभार समाप्त करने का निश्चय किया है। इससे सरकार के राजस्व के संसाधनों में लगभग ५ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की कमी हो जायगी, किन्तु मुझे विश्वास है कि इस छूट का सम्बद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपका ध्यान आगे आने वाले कठिन कार्य की ओर आकृष्ट करता हूं तथा इस विश्वास के साथ कि आप सब राज्य की जनता के हित को सर्वोच्च स्थान देते हैं, यह आशा करता हूं कि आप विधान मण्डल के सदस्यगण, लोकतन्त्रीय आदर्शों तथा जनता की सेवा को सर्वोपरि बनाए रखने का अथक प्रयास करेंगे।

जयहिन्द।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर।)

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६, में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

१—खण्ड २ के उपखण्ड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "ऐक्ट" और "इस" के बीच शब्द "आगे" रख दिया गया है।

२—खण्ड १२ के उपखण्ड (१) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी कोलन का चिन्ह रख दिया गया है।

३—खंड १२ के उपखण्ड (२) द्वारा उपधारा (५) में बढ़ाये गये भाग में कोष्ठक व शब्द "(सेंसर)" निकाल दिये गये हैं।

४—खण्ड १४ की पादान्तीय टिप्पणी में "२४,१९५७" के स्थान पर "३४, १९५८" रख दिया गया है।

५—खण्ड १५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ की नयी बढ़ायी गयी उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "महापालिक" के स्थान पर शब्द "महापालिका" कर दिया गया है तथा पंक्ति ४ में "ऐक्ट" के स्थान पर शब्द "ऐक्ट" कर दिया गया है।

६—खण्ड १७ की पंक्ति २ में कोष्ठकों के चिन्ह के स्थान पर कामा के चिन्ह रख दिये गये हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर।)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६, में दिये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

१—खण्ड १ की उपान्तीय टिप्पणी में शब्द "प्रारम्भ" स्थान पर शब्द "प्रसार" कर दिया गया है।

२—खण्ड २ की पंक्ति २ में शब्द "शब्द" तात्पर्य के बाद चिन्ह "—" रख दिया गया है।

३—खण्ड २ के भाग (क) (३) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया गया है।

४—खण्ड ९ के उपखण्ड (१) की पंक्ति १ में शब्द "अधिनियम" के स्थान पर शब्द "अध्यादेश" रख दिया गया है।

विधान सभा

सत्यी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, में दिये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

१—खण्ड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४ में नयी बढ़ायी गयी उपधारा (४) की पंक्ति ६ में शब्द "अभिदेशों" के स्थान पर शब्द "अभिदेश" कर दिया गया है और इस उपधारा के अन्त में इनवर्टेड कामा हटा दिये गये हैं।

२—खण्ड ४ द्वारा बढ़ायी गयी नयी धारा ५१ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "समक्ष" के स्थान पर शब्द "समक्ष" कर दिया गया है।

३—खण्ड ४ द्वारा बढ़ायी गयी नयी धारा ५२ की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में से शब्द "ऐसे" निकाल दिया गया है, तथा इसी उपधारा की पंक्ति ९ में शब्द "मल" के स्थान पर शब्द "मूल" कर दिया गया है, और उपधारा के अन्त में इनवर्टेड कामा हटा दिया गया है।

विधान परिषद

पी० एच० यू० पी०-ए० पी०—२ एच० ए०—१९६७—८६४।